14.01 hrs.

GOA, DAMAN AND DIU APPROPRIATION (SECOND VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1979*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Goa, Daman and Diu for the services of a part of the financial year 1979-80.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please point out the printing errors

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, the last figure in the grand total on page 4 of the Schedule given as "44,58,1200" should be read as "44,58,12,000".

MR. DEPUTY-SPEAKER: One zero is missing here.

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, one zero is missing. But it is very much material when it is at the end.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And there are some other small mistakes also which will be corrected, I suppose.

The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Goa, Daman and Diu for the services of a part of the financial year 1979-80."

The motion was adopted.

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, I introduce† the Bill.

14.03 hrs.

MOTION *RE.* TWENTY-THIRD AND TWENTY-FOURTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES —*CONTD.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up further consideration of the following motion moved by Shri Dhanik Lal Mandal on the 9th May, 1979, namely:—

> "That this House do consider the Twenty-third and Twenty-fourth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1974-75, and 1975-76 and 1976-77, laid on the Table of the House on the 1st March, 1978 and 9th May, 1978 respectively."

Now, Mr. Kureel.

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है। ऐसा मालूम देता है कि यह एक सेरिमोनियल टाइम में रिपोर्ट पढ़ ली जाती है और उस पर कोई ऐक्शन नहीं होता।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का जहां तक सवाल है रिजर्वेशन में हम देखते है कि कैबिनेट में जहां पर सरकारी पोलिसी तय होती है वहां पर भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का रिप्रजेन्टेशन नहीं है। कैबिनेट में पहले दो मिनिस्टर हुआ करते—श्री भोला पासवान शास्त्री और माननीय जगजीवन राम जी। दूसरी बार श्री जगजीवन राम और श्री डा० सर्जीवैया मन्त्री हुआ करते थे। लेकिन इस सरकार के आते ही इसमें एक ही रह गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर हाउस में भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी 400 अफसरों में से केवल दो ही है। यह इस मन्दिर में रिजर्वेशन का हाल है। बाकी जगह क्या होगा इसका आप अनुमान लगा सकते है। जहां तक पब्लिक

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 14.5.1979.

†Introduced with the recommendation of the President.

अन्डरटेकिंग्स की बात है जितने इन्चार्ज हैं उसमे शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के नहीं हैं । करीब 150 अन्डरटेकिंग्स है, लेकिन चेयरमैन एक भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के नही है । इससे इंटेंशन और पौलिसी का अन्तर समझा जा सकता है । यही नही जितने गवर्नर्स है, बडी पोस्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस के जजेज है उनमे भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयल्ड ट्राइब्स के लोगों का रिप्रजेन्टेशन नही है । रिजर्वेशन तो है और प्रोमोशन भी है, लेकिन वह नामचार का है । पहले सी०आर० खराब कर दी जाती है जिससे प्रोमोशन के समय बाधा पडे । हमने देखा है, विशेषकर कृषि विभाग, एफ०सी० आई० तथा अन्य विभागों मे जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग है उनकी सी०आर० जानबूझ कर खराब कर दी जाती है और जानबूझ कर उनको प्रोमोशन नही दिया जा रहा है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर लेकिन न गृह मंत्री है और न दोनों गृह राज्य मंत्री ही सदन मे मौजूद है । माननीय राम किंकर जी बैठे है । तो यह तो जवाब नही देंगे । इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही हो और गृह मंत्री न हों तो कौन इसका जवाब देगा ? हमको कहिये तो ऐसे ही पास कर दें । तो इस तरह से यदि पास करवाना हो तो पास करवा दीजिये, लेकिन हम इससे सहमत नही है ।

उपाध्यक्ष महोदय . इसमे पास करने की बात भी नही है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) कोरम नही है ।

श्री मोहन लाल पिपिल (खुर्जा) यह हाउस इस तरह से नही चलने देंगे (**व्यवधान**) दूसरे कोरम नही है । (**व्यवधान**)

SHRI NATHUNI RAM (Nawada): The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner's Report is being discussed, and the Home Minister, who is mainly responsible for implementation of the recommendations is not here. Society is indifferent, Government is also indifferent.

MR DEPUTY-SPEAKER: Will you also listen to me, or are you determined to walk out?

SHRI MOHAN LAL PIPIL: We have got every right to walk out.

MR DEPUTY-SPEAKER: You must know that there is some parliamentary procedure. When you get up and make a submission to the Chair, you must also listen to the Chair Otherwise, don't make a submission.

All that I can say is that the Minister should be here, and it is wrong that no concerned Minister is here. I can understand if at least the Minister of State is here. I think the Minister should be called here. Now we may proceed with the discussion.

SHRI MOHAN LAL PIPIL: Till he comes, we cannot proceed further

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): There is a more important point. There is no quorum. Quorum is not a matter of rules only, but a constitutional obligation under article 100.

Some Hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The quorum bell is being rung. Now, there is quorum The hon. Member may continue his speech

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am told that the Minister of State in the Ministry of Home Affairs is on his way. So, let the hon Member continue his speech.. (**व्यवधान**) . . .

श्री आर० एल० कुरील : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सुनना भी नहीं चाहते शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की बात... (व्यवधान)...

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरंग साय) : गृह राज्य मंत्री अभी दो मिनट के लिए बाहर गए हैं, वह अभी आ रहे हैं...(व्यवधान)...

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : वह अभी दो मिनट के लिए गए हैं, मैं नोट कर रहा हूं ।

श्री आर० एल० कुरील : यहां होम मिनिस्टर नहीं हैं और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इसी से सरकार की नीयत क्या है इस का पता चलता है । सरकार की नीयत और नीति दोनों में फर्क है, यह आप देख रहे हैं । नीति और नियत का यह अंतर बिलकुल स्पष्ट है । मैं बताना चाहता हूं कि इस साल का बजट 19 हजार करोड़ रुपये का बना, उस में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लिए देना तो चाहिए था ज्यादा लेकिन वह नहीं दिया गया, 25 परसेंट भी अगर दिया जाता तो वह 5 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए था । लेकिन 5 हजार करोड़ रुपये की जगह पर 31 करोड़ दिया गया है, इससे अधिक विडम्बना और शर्म की बात और क्या हो सकती है ? इस से क्या यह पता नहीं चलता है कि सरकार केवल जबानी सहानुभूति दिखाती है, वह शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए केवल लिप सिम्पैथी दिखाना चाहती है । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि पांच साल के अंदर छूआछुत दूर हो जायगी और सब ठीक हो जायगा । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कैबिनेट में जहां पालिसी डेसीशन लिया जाता है, पालिसी डिसाइड की जाती है वहां भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का रेप्रेजेन्टेशन पूरा नहीं है, इस से अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है ? जहां तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन का कोटा 18 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और साढ़े सात परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए है, इस से अधिक वह सौ परसेंट तक जा सकता है लेकिन जैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा पूरा करने की बात आती है सरकार की नियत है कि 18 परसेंट और साढ़े 7 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन न दिया जाए । अगर सरकार इस तरह से रिजर्वेशन को लिमिट करना चाहती है तो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य के लिए भी उनकी पापुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन कर दीजिए । फिर उनमें भी 18 प्रतिशत के ऊपर 19वां नहीं होने देना चाहिये । लेकिन गवर्नमेंट की यही इन्टेंशन है, पहली गवर्नमेंट की भी यही इन्टेंशन थी और इस सरकार की भी यही इन्टेंशन है । रिजर्वेशन का कोटा कहीं भी पूरा नहीं है क्योंकि उसमें सूटेबिलिटी का क्लाज लगा हुआ है । अनसूटेबिल कहकर नौकरियां नहीं दी जाती हैं । सरकार स्पेशल कोर्ट बना रही है लेकिन उसके प्राविजन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की प्राब्लम्स को डील करने के लिए क्यों नहीं एक्सटेंड किए जाते ? सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कोई इन्ट्रेस्ट क्यों नहीं दिखाती ? इसका कारण यह है कि सरकार में जो बैठे हैं उच्च पदों पर, प्राइम मिनिस्टर तक, वे मुंह से तो कहते ने कि तुम्हारी प्राब्लम्स को दूर कर देंगे लेकिन उनके दिल काले हैं आज तक उन लोगों के दिल दिमाग में कोई फर्क नहीं आया है । सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वे यह खेल खेल रहे हैं । होम मिनिस्टर अपने कानों में रुई ठूस कर बैठते हैं, वे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्ज की प्राब्लम्स पर कोई

ध्यान नहीं देते हैं । शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यस्ड ट्राइब्ज पर कहीं अत्याचार होते हैं तो हमारे मोरारजी भाई कहते हैं कि यह स्टेट मैटर है और जब यहां पर अत्याचार होते हैं तो कहते हैं यह ला ऐंड आर्डर सिच्युएशन है । ऐसी हालत में हम लोग हिन्दुस्तान के किस कोने में किसके पास जायें और किससे फर्याद करें ? स्टेट वाले भी हमारी बात नहीं सुनते हैं और आप भी हमारी बात नहीं सुनते हैं । इसका मतलब यह है कि आप इनकांपिटेंट हैं, यह गवर्नमेंट अयोग्य है । ऐसी गवर्नमेंट को तो रिजाइन कर देना चाहिये । ऐसी गवर्नमेंट का कोई जरूरत नहीं है । अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन इस तरह का हो तो यह गलत है । और अगर इसी तरह का इन्टेंशन रहा तो वह दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से यह देश बटेगा । डा० बा० आर० अम्बेडकर ने तीस साल का समय दिया था हिन्दू धर्म को परिवर्तन करने के लिए, उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में इन्सान को इन्सान न माना जाए, इन्सान को कुत्ते बिल्ली से बदतर माना जाए, जानवरों की तो रक्षा की जाए, बूढ़ी गायों का कत्ल रोकने के लिए आमरण अनशन किया जाए, इस सब्जेक्ट को कानकरेन्ट लिस्ट में लाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ शड्यल्ड कास्ट्स, शेड्यल्ड ट्राइब्ज, माइनारिटीज, बैकवर्ड क्लासेज के कत्ल होते हों, उनकी मां बहनों की इज्जत लूटी जाती हो तब सरकार मौन रहती है—इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है ।

जहां तक आर्थिक उन्नति की बात है, मैंने बताया कि 19 हजार करोड में से 5 हजार करोड देना चाहिए था लेकिन 5 हजार करोड़ छोड़ दीजिए, 500 करोड भी नहीं दिया, सिर्फ 31 करोड का प्राविजन किया गया है । क्या इसी से आप कहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज उन्नति करेंगे ? इसका मतलब है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए मेडिकल कालेजेज में एड-मीशन के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है । सरकार ने एडल्ट एजूकेशन के लिए 200 करोड़ रुपए दिए है लेकिन शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए कुछ नही कर सकती है । (व्यवधान) इससे बढ़कर विडबना और क्या हो सकती है । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री से लेकर बी डी ओ तक कौन लोग हैं ? वही है जोकि इन पर अत्याचार करते है । पुलिस और मैजिस्ट्रेसी मे कौन लोग है ? वही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आई पी सी, सी आर पी सी और एविडन्स एक्ट में परिवर्तन करना होगा । हमें बर्डन-आफ-प्रूफ की जिम्मेदारी हत्यारे पर डालनी होगी । आज होता क्या है—बैनिफिट-आफ डाउट हत्यारे को दिया जाता है और वह साफ छूट जाता है । आज आप का कानून हमारे फेवर में नहीं है । इस लिये मेरा निवदन है कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई जाय । यह ठीक है आप ने बहुत से कमीशन्ज बना दिये है—माइनारिटीज कमीशन बन गया है, शैडयूल्ड कास्टस एण्ड ट्राइब्स कमीशन बन गया है, बैकवर्ड क्लासेज का कमीशन बन गया है—लेकिन यह सब आप ने माइण्ड के डाइवर्शन के लिये किया है, इस के अतिरिक्त कुछ नही है । मैं चाहूंगा कि जिस तरह से रिफ्यूजीज को बसाने के लिये रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनी थी, उसी तरह से आप शैडयूल्ड ट्राइब्स और शैडयूल्ड कास्टस के लिये एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनायें ।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है—मैं चाहता हूं कि शैडयूल्ड ट्राइब्स और शैडयूल्ड कास्टस के लिये रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाये और उन लोगों के लिये रिजर्वेशन कर दिया जाये जिन की संख्या 18 परसेंट

[श्री आर० एल० कूरील]

से भी कम है। कहते हैं कि ऐसा करने से सिविल-वार हो जायगी। सिविल-वार का आप को बड़ा डर है, लेकिन शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिये, बैकवर्ड क्लासेज के लिये, जो इन्सानी जिन्दगी से भी बदतर जिन्दगी गुजारते हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, जो कपड़ा बुनता है उसे कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, जो खेत में मेहनत करता है, जमीन को जोतता है, उस के पास जमीन नही है, जो मकान बनाता हैं लेकिन उस के पास अपने रहने के लिये मकान नहीं है, वह पेडों की छाया में रहता है—उन का आप को कोई डर नही है। आज हमारे यहां जाति-व्यवस्था चलती है—जिस की जड़ वर्ण-व्यवस्था है और इस वर्ण-व्यवस्था की जड़ हिन्दू धर्म है। यदि आप छूआ-छूत को समाप्त करना चाहते हैं तो आप को जाति-प्रथा को समाप्त करना होगा, वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करना होगा। ये जो मन्दिरों में बैठे हुए पुजारी है, ये जो आप के शंकराचार्य हैं—ये लोग हिन्दुस्तान में छूआछात को फैला रहे है। राम-चरित मानस जैसी पुस्तक—जिस में लिखा है—"शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी", जिस में लिखा है—"पूजिये विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजिये गुण-गण गुण-गाण ज्ञान प्रवीना"—जब तक ऐसी पुस्तकों को जो हमारे संविधान के खिलाफ़ हैं, जलाया नहीं जाता, तब तक हिन्दुस्तान में वर्ण व्यवस्था, जाति-व्यवस्था और छूआछूत चलता रहेगा और वह दिन दूर नही है—जब हमारा हिन्दुस्तान टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जायेगा—मैं बार-बार इस बात को कहता आया हूं और आज भी कह रहा हूं। मैं नही चाहता हूं कि हिन्दुस्तान टुकड़ो में बंटे, मैं चाहता हूं कि उस में एकता बनी रहे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे है—उन को अधिकार मिले, उन को भी इन्सानियत का दर्जा दिया जाये।

हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं होता—क्यों पूरा नही होता? जहां पर कोटा पूरा न हो, वहां के उच्च अधिकारियों को उस के लिये जिम्मेदार ठहराया जाये और उस के लिये उन को पनिशमेन्ट दिया जाये। मैं चाहता हूं कि इस तरह का कानून बनाया जाये—अगर हम ऐसा कानून नहीं बनायेंगे तो यह कोटा कभी पूरा नहीं होगा। सूटेबिलिटी की क्लाज को समाप्त किया जाये। स्पेशल कोर्ट स के बिल को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामलों के लिये भी एक्सटेण्ड किया जाये। कोटा, परमिट, लाइसेंस शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, बीकर सेक्शन्ज के लोगों को ही दिये जायें। उन से किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी न मांगी जाये। मैं चाहता हूं कि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाये। आज हम देखते हैं कि जो जमीन को जोतता है, उस के पास जमीन नहीं है। भूमिपति दूसरे है और भूमि जोतने वाले दूसरे हैं। जो अनाज पैदा करता है उस के पास खाने के लिये अनाज नही है। इसलिये जरूरी है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाये। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेन्टस के लिये चाहे इन्जीनियरिंग हो या पी० एम० टी० हो सब में रिजर्वेशन होना चाहिये। उन को हर महीने स्कालरशिप दिया जाये। जब हम को हर महीने तनख्वाह मिल सकती है तो स्कालरशिप हर महीने क्यों नही दिया जा सकता—यह कितने शर्म की बात है। आज उन को साल बीत जाने के बाद स्कालरशिप दिया जाता है—जिस से उन को बहुत कठिनाई होती है।

मैं चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिये एक अलग से फाइनेन्शल कारपोरेशन बनाई जाये जिस की पूंजी 100 करोड़ रुप रखी जाये और उस रुपये को हरिजनों येकेउ स्थान में लगाया जाये। एक व्यक्ति—एक व्यवसाय के

सिद्धान्त को लागू किया जाये । बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे—हम देखते हैं कि उन का एक भी फोटो यहां नहीं लगा है सेन्ट्रल हाल मे भी नहीं है यहां भी नहीं है । ऐसे महान योग्य और सम्मानित व्यक्ति का फोटो न लगाना उसी जाति भावना का प्रतीक है । दूसरे लोगो के फोटो यहां पर लगते जा रहे है—लेकिन बाबा साहेब का फोटो यहां न लगाना अच्छी बात नहीं है । यह वह महान व्यक्ति था जिस ने इस देश को संविधान दिया, जिस ने हम को समता और समानता का अधिकार दिया, स्त्री और पुरुषों को बिना किसी रंग-भेद और जाति, पांति का ध्यान रखते हुए समान अधिकार दिया—उस का फोटो यहा पर न लगाना बडे शर्म की बात है—इस सरकार के लिये भी और पिछली सरकार के लिये भी शर्म की बात है । अत उनका फोटो पार्लियामैन्ट हाऊस तथा सैन्ट्रल हाल मे लगाया जाये तथा 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाये । हम देखते हैं कि जो मेहनत करता है, आज उस को खाना नसीब नहीं होता है और जो झूठ बोलता है और झूठ बोल कर काफी पैसा कमाता है, उस को साहू कहते है । जो भंगी है या चमार है या धोबी हैं, उन को नीचा माना जाता है । आज चमार इसलिए नीचा माना जाता है क्योंकि वह चमड़े से जुते बनाता है, जूतों का काम करता है । धोबी इस लिए नीचा माना जाता है क्योंकि वह लोगों के कपड़ों की गन्दगी को खत्म करता है और लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहना कर बाबू बनाता है । अगर भंगी गन्दगी को साफ न करे, तो रसोई तक में सैकड़ों कीड़े चले जायेंगे । वह इसलिए सब से नीचा माना जाता है क्योंकि वह गन्दगी को साफ करता है । आप यह देखिए कि जो गन्दगी को साफ करने वाला है, वह नीचा माना जाता है और गन्दगी को फैलाने वाला ऊंचा माना जाता है, वाह री दुनिया, यह तेरा सिद्धांत है । ऐसी दुनिया और इस तरह का सिद्धांत कब तक चलेगा, यह मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अन्त मे मै यही जानना चाहूगा कि जो 4 हजार रिकमेंडेशन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्टों में है, उन में से कितने को भी अभी तक इम्पलीमेंट किया गया है ? कितने अधिकारी हैं, जिन के खिलाफ यह साबित हो चुका है कि उन्होंने अन्याय किया है, उन से से कितने लोगों को आप पनिश कर चुके हैं ? क्या सरकार भविष्य में इस तरह के लोगों को पनिश करेगी ? क्या कोई पीनल क्लाज बनाएगी, जिस के लोगों को सजा मिल सके ? जब तक इस तरह की पेनल क्लाज नहीं बनाई जाएगी, तब तक कोई फायदा नही है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम यह देखते हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, वे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राब्लम्स को हमेशा इगनोर करते हैं । जब भी उन से उस तरह की बातें की कही जाती है, वे कान में रूई डाल कर बैठ जाते हैं । इस का मतलब यह है कि या तो उन में योग्यता नही है कि वे शेड्यूल्ज कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राब्लम्स को डील करें या उन की इन्टेंशन नही है कि वे इन लोगों के साथ न्याय करे । दोनों हालतो में उन को रिजाइन करना चाहिए, योग्यता नही है तो भी और इन्टेशन नही है, तो भी । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

14.27 hrs.

(SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*)

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Mr. Chairman, Sir, whenever the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is raised in the House, they always say that the Government of India is entirely dependent on the State Governments' attitude and the action taken by them. They always say that they are helpless in the matter of implementation of the

[Shri K. Snoyanarayana]

schemes which have been sanctioned by the Government of India, they are dependent on the State Governments. For instance, the Government of India are granting several crores of rupees for the benefit of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but there is no proper machinery to see how best the sanctioned money is being utilised by the State Governments. According to a report, in the last two or three years, the State Governments have not spent even 20 per cent of the grants given by the Government of India or provided by the State Governments. That is the state of affairs in the States. I do not want to blame any one State. Particularly I want to ask my hon. friends here, have they ensured that their State Governments are implementing the schemes properly and how best they are utilising the funds sanctioned by the Government of India and the State Governments? There is lack of interest there. I say this so far as some Members are concerned, not all. They are taking shelter under group politics. So far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned there should not be any party politics or group politics. But unfortunately in several States, including Andhra Pradesh, there are group politics and party politics even in the implementation of schemes concerning Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I will give an instance. The other day it has come in the press. It has come up in the High Court. Government rules are there, not only about Scheduled Castes and Tribes but about all poor people. Poor persons with meagre holdings of 2 to 2-1/2 acres of wet land or dry land should not be touched unless it is inevitable for the purpose of maintaining the rule of proximity. They have issued a circular. I came across only the other day a report where the Andhra Pradesh High Court has stayed an order in a case where small holdings of 1 to 8 acres have been acquired in some Harijan colonies. The land is owned by Harijans and they are all small landholders and they have become landless poor. Fortunately, the High Court has stayed the order. Let me read the GO issued by the Government of Anhdra Pradesh in 1974. They say:

> "There are complaints that lands belonging to small landholders though uneconomic holdings have come under acquisition proceedings whereas adjacent lands belonging to big landlords remain untouched...."

This is the GO. They say:

> "Poor persons with meagre landholdings of less than 2 to 2-1/2 acres may generally be not touched unless otherwise inevitable for the purpose of maintaining the rule of proximity and vicinity to the main village."

What is the Government of India doing when the State government is going on like this irrespective of your policies and programmes? They have no right. The State governments cannot be touched by the government of India? What an unfortunate lot these poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes are having? Our entire country is indebted, our entire nation is indebted. No other country has got a class like the Scheduled Castes. Even now you are creating some more in the villages. You are constructing some more Harijans petas separately. That should be abolished. When you are constructing new Harijan colonies, you want to keep them seprately. Still there is a panchama class like this. You are encouraging that. Hereafter the Government of India and the State governments should formulate a policy that there should not be any separate colony for Harijans. They should be mixed up with other communities. Particularly in the rural areas you are still having separate colonies. That is an unfortunate position. I want the State Governments and the Centre should take a decision that hereafter there shall be no separate colony for Harijans or Scheduled Castes. The circumstances are not like that in the towns. They are prepared to mix with other people. In my place Harijans are there. Muslims are there, Christians are there. You give the sites

only to those who are prepared to mix with other communities or the poor people. But they are giving to the poor people also separately and not with the Harijans. Harijan colonies are being constructed separately. This is a shameful thing to our entire nation. Even after 30 to 40 years after Mahatma Gandhi's passing away things are like this. That shows that the government is not taking any interest—both the previous government and this government, so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned.

Other Backward Classes are also feeling like that. They are suffering and they are telling only the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being given some facilities and not other classes though they are also poor Poor people should also given same facilities and some consideration as is given to Scheduled Castes There are only two classes—the rich and the poor. They should also be given all concessions on an equal footing. A Scheduled caste man though having a property of Rs. 10—15 lakhs asks for concessions to his children Concessions should be given only on the basis of economic standing. A Scheduled Caste man may come and sit here fighting elections on the basis of reserved constituency but other facilities should be extended equally to all poor people.

I want to bring one more thing to your notice. There is allocation of land to the poor people. They say it is a state subject. It is not a State subject. You are giving grants. So the government of India has got the right. if it is a State subject what is the use of having the Krishi Bhavan here and what is the use of having so many offices here? Abolish them all. You have got every right because you are giving grants. There is no question of State subject. I want to request particularly our Department here which is in charge of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They can stop the malpractices going on in that State.

One more thing I want to bring to the notice of the government. There is one Agriculture Market Committee in my home town, viz., Eluru in Andhra Pradesh. It has been constituted and financed by the Government of India but the Government of India cannot go into the question of utilisation of finances as it is told that it is a State subject. So, my suggestion to the Government is that where they are giving sanction they must have their machinery to find out as to how the finances are being utilised.

Then, Sir, the local Deputy Director during the Emergency period acquired land to the tune of sixteen acres. This land belongs to the backward classes. As I am not in a position to raise my voice against this acquisition in the State Assembly I am raising my voice here on the Floor of the House. The former Chief Minister as well as the present Chief Minister wrote to me saying that the acquired land is going to be restored back yet I find in practice the State machinery has not done anything. The land was acquired in June 1976 and these poor people have been made landless poor Fourteen families have been affected by this and there are many widows in these families. This land which has been acquired is in Eluru town, Krishna Delta area. They are all backward class people. As they are not nearer to any Minister or MLA and do not belong to any political party their cries are not heard. Since 1976 they have been knowcking the doors of different authorities but nothing has happened so far. Through you, Sir I want to request the Government of India to write to the Anhdra Pradesh government to release this land which has been acquired I understand that Rs. three and a half lakhs have been sanctioned to develop roads in this area but I may tell the Government that this amount will acually be utilised for levelling up for the land. This is my information and complaint also. This land has been acquired against our national policy. Who is responsible for all these things? They have gone to the court. The previous Government had appointed a Committee. But that committee consisted mostly of landlords

[Shri K. Snoyanarayana]

It was decided that the surplus production would be marketed in the so-called Market Yard. But these arrangements will only be for the benefit of the landlords. Instead of handing over the lands to the poor people, they have pooled thir lands and the benefit by way of marketing their produce nas been taken away by the landlords. How they are exploited.

In so far as the upliftment of Schedultd Castes and the Scheduled Tribes are concerned, there is no use of simply raising slogans. They are all empty slogans. The actual thing required is that the laws passed by the Parliament and the State Legislatures should be implemented and put into practice. Now, I would like to know how far you have been successful in implementing the policies and the programmes for the upliftment of the SC and ST. The previous Government was committed to do so many things in so far as SC ST are concerned. But they had not enforced most of them. Likewise do not commit yourself in this regard. What is the use of committing to do so many things for them without putting them into practice? You are not doing it in the way we expect of you. We are not against the Government. We are here to help you in so far as your good policies and programmes are concerned. Your policies and programmes should be beneficial to the poor agriculturists and small farmers who are mostly belonging to SC and ST. Moreover, about 80 per cent of the agricultural labourers are SC and ST. What steps are you taking to safeguard their interests? You are passing so many laws through the labour Ministry. But do you have any monitoring arrangement to see that the laws are enforced? We expect you to solve their problems immediately so that the exploitation of these people is put an end to. Once again, I would request the Government to take utmost interest and seriously consider the feelings of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But the Government is not coming forward to help them sincerely.

You say that this is a State subject. Then what is the use of passing so many laws in this connection? From here in Delhi, nobody takes any interest. But I would plead that you can direct the State Governments to bring into force these laws forthwith. We are representing about 10 to 11 lakh pesople. There is no point saying that this is a State subject. But these laws are not put into action and the policies and programmes are not implemented properly, the Central Government can direct the State Government for the proper implementation of the schemes and programmes and also for the proper enforcement of the laws. In regard to the social legislation, there was a conference in which the Members of Parliament and also the Members of various State Legislatures took part. This Conference discussed social legislation problems for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It is said that the social legislation is only on books and it is not being implemented in so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned. The main safeguards provided in the Constitution for the protection and safeguard of the scheduled castes and scheduled tribes are abolition of untouchability and the forbding of its practice in any form, promotion of their educational and economic interests and their protection from social injustice, removed of any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public resort etc., permitting the State to make reservation for the backward classes in public services in case of inadequate representation, special representation in Lok Sabha and the State Vidhan Sabhas etc. However, the harijans have not been benefited from these safeguards. I would, therefore, request the Government to take immediate steps and activise the State Governments, or pull them up to see how best they could serve these peopl.

SHRI S. K. SARKAR (Joynagar): Mr. Chairman, Sir, I would like to speak in Bengali as I am a sick man and would not like to strain myself.

*Mr. Chairman Sir, the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes covering a period of three years is now being discussed in this House. From this it is very clear that the Commissioner's Office is still being treated as "Untouchable" because if we attached any importance to this office or to report then we should not have brought it before this House after 4 years. This discussion, Mr. Chairman Sir, is like performing the postmortem of a dead body. As we tear the body for the postmortem so also we may refer to the different incidents in these reports for some historical value. This discussion may shed any light for our future course of action.

Sir, the importance of the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is immense. It is a Constitutional Office meaning thereby that the Constitution of India has made a special provision for this post. But despite this its constitutional position the office continues to be neglected one like the untouchables in the country. It is almost an unwanted office. Sir, I say this because the office of the Commissioner is located in Ramakrishna Puram, Delhi, where as it should have been located in the North Block under the Ministry of Home Affairs. For the last few years we have been clamouring for bringing this office under the Ministry of Home Affairs. At long last the office was brought under the Ministry of Home Affairs but the office continued to be located in Ramakrishna Puram. This shows that little importance is shown by Government to this office. Not only this, we further find other evidence of Government's apathy towards the office of the Commissioner. Sir you are perhaps aware that there were five posts of Deputy Commissioners but all these posts were abolished and the only post of the Commissioner was allowed to be retained. This was done at a time when the problems of the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes is rising, when incidents of atrocities are continuing and when we are discussing the grievances of these down trodden people in press and in Parliament and on public platform. What does it mean? Does it not mean that we are deliberately chopping off the hands of the Commission and making it as ineffective as possible particularly at a time when it should have been helped with more hands and made more effective to deal with the problems. This no doubt proves that whatever be the Government's good intentions for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, and however sweetly they may express their sympathies, in reality they do not want to assess the gravity of the problem and give to this office the great importance that it rightly deserves. Therefore I feel that by merely presenting the reports of the Commission in Parliament after long avoidable gaps and to have some discussion in Parliament has really not given any benefit to the people for whom these reports are meant. Apart from this, the Parliament also has a Standing Parliamentary Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Committee presents their reports at regular intervals but we do not know what action is being taken by the Government on the recommendations contained in these reports. From all these, we have no other alternative than to come to the conclusion that to the Government the problems of the Scheduled Castes have no importance. As long as the ballot boxes will remain in this country, to elect people to man the legislatures, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people will have some importance to all the political parties, be it Janata Congress or the Communist but they will never be given their legitimate due in the social and economic set up of the country. There is no machinery to ensure that the reservations of 15 per cent and 5 per cent for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people respectively are being

*The Original Speech was delivered in Bengali

[Shri S. K. Sarkar]

implemented or not. Therefore, a mere discussion in general terms will not lead us anywhere, we have to be clear about some things. The political reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes people will end in 1980. The people belonging to this are in a suspense. They do not know whether this will be extended further or not. This is an important question and I could therefore request the Minister to give a category answer to this question when he gives answers to the debate.

Sir, broadly speaking the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people can be categorised under three heads---Education, Service and the economic problems So far as Education is concerned. I would like to tell this House what is happening there Sir it is with great regret that I have to say that that both my State Government of West Bengal and also the Central Government have adopted an attitude of indifference. When I was student, I did not take any stipend that are given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. In those days there were only 4 hostels in Calcutta for the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Nearly 30 years have since gone by and can we not legitimately hope that during this long period the number of hostels should have been raised from 4 to at least ten or twelve. But you will be shocked to know Sir that far from increasing the number, as far from even retaining the number, the number of hostels in West Bengal today is only two. Why this has been done. May I know from the hon. Minister the reasons for this action of the Government which shows nothing but antipathy towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Will the Hon. Minister explain this also when he replies.

Now, I will speak a few words the quantum of stipend money that is given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. Sir, with the passage of time the cost of living has gone up but the Government have never taken prompt and adequate steps to upgrade the value of stipends that is given to these students. Today a Scheduled Castes and Scheduled Tribes students studying in Engineering or Medicine cannot meet the high cost of education from the high cost that such education involves. Sir these stipends are given to those whose parents have an income of Rs. 700/- per month. Now every LDC or a Bank peon earn this amount. Can he really send his son for Engineering or Medical Education after meeting the expenses for the family. That he cannot, goes without saying. Therefore I would suggest that all students who go in for engineering or medical education from these communities should be given liberal stipends

Sir, whenever we discuss the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, suggestions regarding 'land reform' are made invariably. I cannot but laugh at the suggestions because they can be good slogans but they are not likely to solve the problem. Can one distribute anything out of nothing If land reform is taken as land distribution, then too the picture does not become very happy, because there will be scanty land available for distribution and it will run counter to the production and to the interests of the marginal and small farmers. I would therefore suggest that we should set up institution like the I.I.T. in every block for these students so that they may get a life oriented or living oriented education. Infact, I, am in favour of giving this education to all but I am stressing this for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students because these students come from the landless class who have no scope for economic living. Therefore, through this education they would be able to settle themselves on an economic footing. This is my personal view. Sir, I am one with the views of the famous American economist Galbraith, who was the American Ambassador to India, who said "Education is the first capital to be invested for the development of a nation." Nothing can be more true than this when we discuss the problems of a developing nation.

Therefore, for the economic prosperity of a nation, our investment in education should be substantial but is it happening in our country? You all know the allocations that we make every year for our education. From here when we look to the allocations made for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students for education then we are simply dismayed. Reading the reports of the Commission we find that instead of progressing increase, the growth of education among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students is rather stagnant. Therefore, to remedy the situation we should have more hostels and should substantially raise stipends and distribute them liberally. Sir, I would like to refer to an anomaly that now exists in matter of payment of stipends. According to the present rules only two sons of a Scheduled Castes and Scheduled Tribes is entiled for getting it The third, fourth and the successive sons and daughters of a Scheduled Castes and Scheduled Tribes parent will not be given this stipend. I say, Sir, it is a "conspiracy" of the bureaucracy to stop the education of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. I feel that such rules are great impediments in the way of the educational development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students and we should do away with such rules. The sooner the better. I hope the hon. Minister kindly consider this issue.

Sir, I must say that after the Janta Party came to power, under the chairmanship of Shri Dhanik Lal Mandal a Report called the Report on the Working Group on Scheduled Castes and other Backward Classes during mid term plan of 1978-79" was presented. I must say that it is a very nice piece of document as it covers every aspect of the social, economic political and educational problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. If the suggestions of this report were implemented then many of our problems, much of our agonies and grief would have ended. But this report was not laid on the Table of the House. Its recommendations are not binding on the Government. It is nothing more than a paper concentrated with goodwill and cannot be translated into peoples aspirations because it cannot be enforced. We are all happy that Shri Dhanik Lal Mandal, who had presided over this group fortunately comes from the backward class and belongs to the agricultural community. I am sure he will not remain contented merely by presenting the report but he will do his best to fulfil the aspirations of the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by implementing this recommendation.

Sir, I would now like to say something about the service opportunity of these people. A reservation has no doubt been made to the extent of 15 per cent and 5 per cent respectively for the Scheduled Castes & Scheduled Tribes people. For class I to III & IV posts under the Government and also in the public sector undertakings. But this has not been implemented fully although 30 long years have passed. Only in the case of sweepers this has been achieved. Sir, these posts are not being filled under the plea that no suitable candidates are available to the Government. But who will judge this? Those who judge these candidates belong to the upper strata of the society who have for long been exploiting the social resources for their own benefit, who kept the society fragmented and never allow goodwill to grow among the different classes of people of the society. The provisions for such reservation unfortunately has no legal basis and we cannot go to the court of law for enforcing it. This is the main reason that the Scheduled Castes & Scheduled Tribes candidates are being denied their due and they are in a helpless position and connot get justice as long as the present situation continues. I would therefore suggest that the provision of reservation should have a statutory backing: The position has been rightly expressed in the report which says, "There is no legal backing in reservations and at present reservations are made in the

[Shri S. K. Sarkar]

services under the State and public sector on the basis of directive principle: The encroachment of the reservations to the extent State policy has laid down, will be implemented with maximum effect when it is given statutory backing: At present, executive directions regarding reservations are made on the strength of Art. 16(4) of the Constitution: This was framed as an exception to Art: 16(1) which provides for equality of opportunity in employment or appointment to any office under the State: 'Clause 4 is not mandatory. This is a vital thing This clause 4 should be mandatory'

Therefore, unless we have a statutory backing 'for enforcing these reservations, the lot of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes will not improve in any way. Sir, I have been receiving many representations every day where the applicants complain that they were deliberately bypassed in the matter of promotion or were instead being made permanent people were retrenched Sir, it is therefore very necessary that the provision for reservations should be kept above the pale of influence of discretion and this can be done when we are able to give the provision a statutory basis. Sir, Shri Suraj Bhan, M.P has given notice of a private members' bill which seeks to achieve the above objective viz· to give statutory sanction, to the provision of reservations But unfortunately, I understand that the Ministry of Home Affairs has commented adversely about this Bill: They are understood to have said that it is not important and therefore can be kept aside. Unless the Ministry of Home Affairs and unless the Government clears it the Bill cannot come up before the House for a discussion. Therefore I request the hon: Minister to give necessary sanction to Mr. Suraj Bhan to introduce the Bill for discussion and passing. This sort of Bill has been passed by West Bengal government. In spite of that, why the attitude of the bureacratic machinery is hostile here? I will tell you one example. In West Bengal the promotion of one executive engineer has become due; he to become superintending engineer: What happened? The Chief Engineer of the State says that he would not give promotion to him: The Act in the concerned State says that if anybody ignores the order about the promotion of Scheduled Castes, he will have to pay a fine of Rs: 250: The Chief Engineer says he is ready to pay that fine but he is not ready to give promotion: The Chief Engineer is a brahmin If that be his attitude how can you improve the lot of down-trodden people So without statutory backing it is not possible to do justice to the people in service

15 hrs.

For their economic development so many things had been written in paper I want to request the Minister that it should not be only written in papers; it should be implemented, proper financial institution should be created in the report he has said that till today no provision has been made from the centre. Should not some provision be made? I want that proper financial backing should be given to this instution. Further the hon Minister should not think that this department as a untouchable department, that is under him, he should not place the report after inordinate delay If he does not think in this way, we are sorry to say that he would not be able to deliver the goods from his department of the Home Ministry which has been entrusted with heavy responsibilities for welfare of these down-trodden people.

I am concluding my sppech with two lines from Rabindranath Tagore which says how untouchability question has to be tackled. Untouchability can be removed only by hearts; that cannot be removed by law; because we have already prohibited untouchability by law, but, we have not been able to remove untouchability. It requires two way communication, from the higher side and from the lower side I would like to remind you of two lines from the great poet Rabindranath Tagore for guidance:

"ऐसो ब्राह्मण, शूचि करि मोन
धरो हाथ सबाकार,
एसो हे पतीत, होक
अपनीत सब अपमान

It means. Oh, Bramin, come forward and purify your mind, stretch your hand; then only everything would be all right.

With these words, I conclude.

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर होने-वाली चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। अभी कुछ दिन पहले इस सदन में यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्टें इस सभा में प्रस्तुत नहीं हो रही हैं और उस के लिए यहां पर काफी रोष व्यक्त किया गया था। उस के बाद तीन चार साल की इकट्ठी रिपोर्टें यहां पर प्रस्तुत की गईं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बहुत सारी रिपोर्टों का पुलन्दा पेश करने के बजाय हर साल बजट सेशन के अन्त में रिपोर्ट को पेश किया जाना चाहिए।

पिछली बार जब अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर यहां चर्चा हो रही थी, उस समय यह मांग की गई थी कि हमारे इस पवित्र सदन—लोक सभा में—भी हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं है। पिछली बार पुर-जोर शब्दों में सरकार से मांग की गई थी कि उन के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाय, लेकिन आज तक इस सरकार ने उस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं आपका ध्यान इस बात पर की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण 1980 में समाप्त हो रहा है जैसा कि मेरे से पूर्ववक्ता-ने मांग की है कि यह आरक्षण कम से कम [illegible] साल के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए, यह मांग बिल्कुल उचित है और सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी, ऐसी मुझे आशा है।

मैंने आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर ऊंचे स्तर से अत्याचार और अन्याय होते हैं। मैं आयुक्त की रिपोर्ट के पेज 21 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस में कहा गया है कि लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए जो पद आरक्षित किए गये हैं, पिछले परिसीमन के द्वारा चार स्थान लोक सभा के कम कर दिए गये हैं। अब आप यह देखिए कि हिन्दुस्तान की सर्वोच्च संस्था लोक सभा में चार स्थान कम कर दिए गये हैं। यह आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है। उस की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस में यह कहा गया है

"लोक सभा के [illegible] स्थानों में क्रमश: 78 और 38 स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित थे। परिसीमन आयोग द्वारा उक्त स्थानों का पुनर्निर्धारण किया गया। लोक सभा के स्थानों की कुल संख्या 526 से बढ़कर 542 हो गई। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 77 से बढ़कर 78 हो गई और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 12 से घट कर 38 रह गई।'

इस से बढ़ कर अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता है कि लोक सभा में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई है और जब यहां के लिए ऐसी बात है तो बाकी नौकरियों में क्या हाल होगा, यह कहा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार से विधान सभाओं में कुछ स्थान कम किये गये हैं। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है:

"लोक सभा के लिए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से दो अतिरिक्त स्थान

[श्री छबेराम अर्गल]

अर्थात् मध्य प्रदेश में वर्तमान 8 स्थानों के बदले 9 स्थान तथा महाराष्ट्र में वर्तमान 3 स्थानों के बदले 4 स्थान अनुसूचित जन जातियों के आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।"

जैसा कि आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, यह प्रस्ताव सरकार को मान लेना चाहिए और दोबारा परिसीमन आयोग की बैठक होनी चाहिए और जन-गणना के आधार पर यह होना चाहिए। 1971 की जन-गणना के आधार पर यह सब चीज चलनी है और अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की जो संख्या बढ़ी है, उन फीगर्स के बढ़ने के अनुपात के आधार पर परिसीमन होना चाहिए और जैसा कि रिपोर्ट में कहा है, उन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। राज्य विधान सभाओं के बारे में यह कहा गया है :

"राज्य विधान सभाओं में 16 अतिरिक्त स्थान अर्थात् बिहार में (2), गुजरात (1), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (4), महाराष्ट्र (1), राजस्थान (1) तथा उत्तर प्रदेश (3) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।"

आयुक्त महोदय ने यह प्रस्ताव किया है। "इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश (4), गुजरात (1), केरल (1), मध्य प्रदेश (11), महाराष्ट्र (5) और तमिलनाडु (1) विधान सभाओं में 21 और स्थान आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।"

इसलिए जब तक लोक सभा और विधान सभाओं में ये आरक्षित स्थान आप नहीं बढ़ाएंगे, तब तक दूसरी जगहों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है।

यही नहीं, राज्य सभा और विधान परिषदों में संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उस के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जब राज्य सभा और विधान सभा परिषदों में ऐसा नहीं है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सभा और विधान परिषदों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुसूचित और जन जातियों के कल्याण के लिए समिति गठित होती है और आयुक्त महोदय को भी एक कमरे में बिठा दिया है लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आती है, उस का एग्जीक्यूशन पूरी तरह नहीं होता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि उन की रिपोर्ट पर या तो सरकार खुद अमल करे या कम से कम आयुक्त को पूरा अधिकार होना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार की खामी हो, तो उस पर वह अमल करवा सके।

अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के आरक्षण के बारे में मैं एक और चीज की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, फर्स्ट क्लास आफ़िसर्स और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन में उन का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। इस के साथ-साथ राजदूत और राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य मंत्रियों के चयन में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार करे। इस सदन में हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इन लोगों के हित की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन जनता सरकार से अब अपेक्षा है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए विशेष रूप से ध्यान रख कर कार्य करे और उनके हितों की रक्षा करे।

आपको मालूम होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा की जाती है और उस

चर्चा के दौरान जो पाइंट उठाये जाते हैं वे पुस्तक में रह जाते है, उन पर कभी गौर नहीं किया जाता है । अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वे राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाती है । मैं चाहूंगा कि ये सुविधाएं उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन को देख कर दी जानी चाहिएं । मेरा स्पष्ट मत है कि ये सुविधाएं फाइनेंशयल आधार पर दी जान चाहिए । मैंने देखा है कि जिन लोगों का नेताओं तक पहुंच हैं वे इन सुविधाओं का सारा का सारा लाभ ले जाते है और जो बहुत पिछड़े है उन तक इन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सुविधाओं का पूरा सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए बजट में जो प्रावधान किया जाता है, उसका उपयोग पूरे साल नहीं हो पाता । वित्त य वर्ष के अन्त में मार्च में जाकर योजनाओं को वित्त.य स्वीकृति हो पाती है और फिर कहा जाता है कि 31 मार्च तक उसे खर्च किया जाए । इस प्रकार इन लोगों के कल्याण के लिए रखी गयी राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और बहुत सारी राशि सरेण्डर करनी पड़ती है । मैं चाहूंगा कि हर महीने के लिए पैसा निर्धारित होना चाहिए कि छात्रवृत्ति पर हर महीने इतना पैसा खर्च होगा और सुविधाओं पर इतना पैसा खर्च होगा ।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय होता है । अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी होते है उनकी अधिकांश में—यह बात रिपोर्ट में भी कही गयी है—सी० आर० खराब कर दी जाती है । इस तरह से इन लोगों को पदोन्नति का समान अवसर नहीं मिलता । सेवाओं में आरक्षण के मामले में यह कह कर टाल दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते । योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है लेकिन जो ऊंचे पदों पर आसीन लोग हैं वे अपने लोगों को भाई भतीजावाद के आधार पर इन पदों पर बिठाने के लिए ऐसा कह देते है । वे लोग इन आरक्षित पदों को इसलिए नहीं भरते कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते जबकि स्थिति ऐसी नहीं है । इस तरह से ये लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं । इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए । जब तक इन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक इस देश का और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भी भला नहीं होगा । इन लोगों के बारे में राजनीतिक लोग इसलिए आंसू बहाते हैं कि उनकी संख्या काफी है और आंसू बहा कर उनके वोट बटोरने हैं । यह तीस साल से बराबर चला आ रहा है । अब सरकार को वास्तविक रूप से उनके हितों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

सभापति महोदय, वर्क चार्ज और डेली वेजिज पर जो लोग काम करते हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजति के लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है । दस-दस और बीस-बीस साल के लोग वर्क चार्ज पर चले आ रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जाता है । डेली वेजिज पर जितने कर्मचारी हैं और जिनकी सेवा तीन साल से ऊपर हो गयी है उन सभी को स्थायी किया जाना चाहिए ।

सफाई कमचारियों के रूप में हमारे बाल्मिकी भाई, महतर भाई निकृष्ट से निकृष्ट काम करते है । उस काम के ऐवज में उनको बहुत कम पैसा मिलता है । अन्याय यह होता है कि कि उनके ऊपर जो दारोगा होता है वह कोई पंडित जी होते हैं या कोई दूसरा होता है । जो लोग इस काम को करते

[श्री छविराम अर्गल]

हैं उन में से ही किसी को दरोगा का पद मिलना चाहिए। साथ ही जो हरिजन भाई सफाई का काम करते है जिन को की स्वीपर कहते है उन की तनख्वाह भी कम से कम एक हजार होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उस काम को करने के लिए आगे आ सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनसूचित जातियां और जन जातियों के ... पद सुरक्षित है उनको अनारक्षित किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। इनको सिफारिश आयुक्त महोदय ने भी अपनी रिपोर्ट मे की है। ऐसा करके दूसरे लोगों को उन पदों पर बिठा दिया जाता है। अगर यह चीज जारी रही तो इन लोगों के साथ अन्याय होगा। इस वास्ते इस मामले पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अनुसूचित जातियां और जन जातियों के लिए भारतीय सेवाओं में 18 प्रतिशत रिजर्वेशन है। संविधान के अनुसार यह कोटा उनको मिलना चाहिए। यह कह दिया जाता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते है। मैं समझता हूं कि इस शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। योग्य उम्मीदवारों की आज के जमाने में कोई कमी नहीं है। डा० अम्बेदकर अनुसूचित जाति मे पैदा हुए थे और उनके जैसे लोग, कई अम्बेदकर आपको देश में मिल जायेंगे जो मारे-मारे रोजगार की तलाश मे भटक रहे है। इस वास्ते इस शब्द को आप को निकाल देना चाहिए।

उनकी आर्थिक स्थिति को भी आपको सुधारना चाहिए। तभी उनका भला हो सकता है। भूमि वितरण की बात हम शुरू से सुनते आ रहे है। यह कहा जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर उन को भूमि दी जायेगी। मैं समझता हू कि पन्द्रह दिन के अन्दर यह काम सारे देश मे सम्पन्न हो सकता है। पिछली सरकार यह नारा देती रही है कि हम उन में भूमि बांट रहे है। और हमारी सरकार भी कह रही है कि हम उनको भूमि दे रहे हैं। लेकिन यह सब कागजों में ही बांटी गई है वास्तविक रूप से उन को कोई भूमि नहीं मिली है। मुझे अपने जिले के बारे मे मालूम है। पिछली सरकार ने भूमि वितरण समिति के माध्यम मे भूमि बांटी। अन्य लोगों को तो भूमि मिल गई लेकिन हरिजनों और आदिवासियों को किसी को नदी का पट्टा, किसी को नाले का पट्टा और किसी को पहाड़ का पट्टा दे दिया गया है। भूमि वितरण का काम ... एक दो महीने में पूरा कर दिया जाना चाहिए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस के बिना उनका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वह भूमि वितरण का काम तीस जून तक समाप्त कर देगी। मुझे नहीं लगता है कि यह तब तक हो पायेगा। अगर हो गया तो मैं समझूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है। राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय कार्य को हाथ में लिया है। यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इस को सारे देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि देश में अनुसूचित जातियों और जन जातियों का भला हो सके।

संविधान मे अनुसूचित जातियों और जन जातियों का उल्लेख किया गया है। इस सदन में और सारे देश मे इस बात की बहुत जोर शोर से चर्चा होती है कि हरिजनों का हम को भला करना है। अब हरिजन शब्द संविधान मे कही नहीं है। जिस शब्द का संविधान मे उल्लेख नहीं है उस शब्द को सारे देश मे क्यों ढिंढोरा पिटा जाता है यह मेरी समझ मे नही आता है। यह हरिजन क्या बला है, मेरी समझ मे नहीं आता है। यह शब्द निकाल देना चाहिए और इस के स्थान पर अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम हरिजन शब्द

लोगों में खाई बढती जा रही है कि यह हरिजन है और वह सवर्ण है। इस खाई को पाटना होगा। मेरी स्पष्ट मान्यता है और मेरे मुह से भी हरिजन शब्द कभी कभी निकल जाता है, यद्यपि मैं इसका घोर विरोधी हू। गांधी जी की उस समय कुछ भी मंशा रही हो और उन्होंने इसका प्रचलन किया हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि सवर्ण और हरिजन के बीच बहुत बड़ा खाई पैदा हो रही है जिससे लोगों में विद्वेष की भावना पैदा हो रही है। इसलिए हरिजन शब्द निकाला जाय और इस का जगह अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाए।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो के लिए कुछ सुविधाओ का उपबन्ध किया गया है, जैसे छात्रवृति है। यह छात्रवृति उनको इकट्ठी अप्रैल के महीने में मिलती है जिसके कारण उसका वास्तविक उपयोग नहीं होता है। मेरी मांग है कि यह हर महीने मिलना चाहिए ताकि वह उसका उपयोग कर सकें। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो के लिए हल, बैल, खाद, बीज, डीजल पंप और कुएं के लिए भी सुविधा दी जाती है। यह पैसा भी उनको मार्च के अन्त तक दिया जाता है और लास्ट में अधिकांश पैसा सरन्डर हो जाता है। यह पैसा जुलाई से ही मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए जो सुविधायें दी गई है, जो पैसे का प्रावधान किया गया है वह वास्तविक रूप में उन पर खर्च होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इस पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसको दंड भी देना चाहिए। जो पैसा बजट में उनके लिए है वह उनको मिलना चाहिए। कानूनी सहायता नहीं दी जा रही है, वह दी जानी चाहिए।

एक बात और कहनी है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री निश्चित रूप से होनी चाहिए और इस पर सरकार जरूर ध्यान दे। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं।

SHRI C. N. VISWANATHAN (Tiruppattur): Mr. Chairman, when we are discussing this motio in this House for the last two days, today morning we have seen how a number of photographs have been shown and some Members shouted at the top of their voice. That only shows that in spite of all the Commisions that we have appointed and the discussions that we have held in this House, the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still facing trouble and even in the hospitals run by the State and Central Governments they are not given proper treatment. Then, even though we have an Act against untouchability; it has not been removed completely and the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are still suffering even at the official level, what to talk of the non-official level. Even in many public places untouchability is practised and so many members belonging to the Janta Party have shown photographs in this august House to substantiate this statement.

So, I would request the hon. Minister to ensure that the law is implemenented in the proper way. No culprits should be allowed to escape from the operation of the law and those who are harassing and ill-treating the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be put behind the bars.

The Untouchability Act provides fo imprisonment upto one year and a fine of Rs. 1,000. I would suggest that the Act should be amended to enhance the punishment to imprisonment for two or three years. Though it is a non-bailable offence, the Criminal Procedure Code should be amended to make its enforcement effective. For instance, we have special courts to deal with economic offenders. People

[Shri C. N. Visvanathan]

who are indulging in anti-social activities and against the Scheduled Castes, Tribes and backward communities should be brought within the scope of these special courts.

So far as vigorous enforcement of the Act is concerned, I may say that as an advocate I have conducted many cases against the caste Hindus under the Untouchability Act and as a result some caste Hindus have been awarded imprisonment of one year and a fine of Rs. 1,000 in Tiruvannamali. Actually, Mr. Chairman, the implementation of the Act of Untouchability should be properly done and it should be properly conducted and proper investigation should be made by this Government and by the Ministry in regard to this.

My hon. friend who spoke before me said that it is not possible for the Home Minister alone to look into all the misdeeds of these anti-social elements. So, a separate Ministry should be formed. There is a genuine point in this request and the Ministry should consider saving a seperate Ministry and a cell to see that in the entire country there should not be any ill-treatment to the backward people and Harijans, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

Next, Mr. Chairman, as far as Tamil Nadu is concerned, the Tamil Nadu Government is welcoming inter-caste marriages. The Tamil Nadu Government is giving gold medals even for inter-caste marriages. In this way the Government of India can ask the States to implement these forward policies like inter-caste marriages and the State Governments may welcome these inter-caste marriages and give facilities to those who want to marry in other castes. The Government should give a definite assurance to give job facilities to the persons who are marrying the Scheduled Castes. So, automatically a casteless society will be formed throughout India. So, I request the Government of India to consider my suggestion seriously.

The Prime Minister is asking every State Government to implement the prohibition policy. But I wonder whether the Prime Minister is asking the Chief Ministers of various States to implement the policy of uplifting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Harijans. What is the Prime Minister doing in regard to this? I have got my own doubt whether this Government may not be committing the same mistake as the Congress did. They are not doing anything for the last two years except appointing Commissions of Inquiry.

About the reservation of posts, many hon. Members said that so many jobs reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not filed up. Because their percentage is only 10 or 20, no body cares to fill them. The vacancies should be filled up in a proper way. The Government should see that the posts are filled up properly from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Last year the Minister of State for Home Affairs read a statement in this House to the effect that there are a number of vacancies which are not filled up from the Scheduled Castes people. What is the reason behind it? Are the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people not qualified for these posts? It is because no proper publicity is given throughout India, especially in southern States, for filling these posts. The Ministry should first find out where the posts are not filled up. The posts should be immediately filled and a circular should be sent to all the officials as to how many posts are vacant and how many posts are to be filled, and all this should be conducted in a proper way and the posts should be filled immediately without any delay.

Mr. Chairman, I would like to draw the attention of the Minister here about the tribal people who are in Tamil Nadu especially and also other tribal people in North India. In Tamil Nadu we call tribal people as

Nari Kuravar, that is gypsy tribal people. They are not at all included in the Tribal list. They are socially very backward and these people are not having houses. Actually, their work is in the forests and these *Nari Kuravar* are very poor people. So, they should be included immediately, without delay, in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The tribal people in Tamil Nadu are *Nari Kuravar* and I would like the hon. Minister, Mandalji who is quite reasonable, to include these *Nari Kuravar* as tribal people in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

My hon. friend from Andamans just now told me what are all the things going on in the Tribal Commission. The allotment of fund was made and given to the Chief Commissioner in Andamans. And the Member in the Commission is his own wife. The Chief Commissioner and his wife are spending this amount for their interests and not at all caring for the tribal people. There is a tribe called 'Onge' in Andamans. They constitute 97 per cent of the population there, but not even a single pie has been spent on them. The Minister should look into and call for a report. The hon. Member from the Andamans has given all particulars and even thrown out a challenge.

Regarding the uplift of the Harijans and the scheduled tribes, three things must be done immediately by the Government of India. They should be given free built houses, as we have done in Tamil Nadu. We have built and given 8,000 houses so far, at the rate of 1,000 houses in each district. You can pick and choose tribal areas, and build cheap houses costing Rs. 5,000 to Rs. 10,000. Government may say that they are short of funds, but we know how crores of rupees are being wasted on so many projects. For instance, the other day when a question was put to the Minister of Petroleum and Chemicals Shri Bahuguna, about the Korba fertiliser plant and it was pointed out that Rs. 24 crores had been wasted he said it was only a small amount and he could not make an enquiry into it. When Rs 24 crores is a small amount to the Government of India, can you not give free houses to the Harijans and the socially backward and poor people?

So many friends have mentioned about land reforms. In Tamil Nadu we have implemented them effectively, and the same should be done in other States also. Definitely this can be achieved by a Central Act.

This is the International Children's Year. My hon. friend has pointed out that child labour is mostly from the scheduled castes and scheduled tribes. Government should stop this during this year and free them. The children of the scheduled castes and scheduled tribes should be given proper education, proper food and proper dress by the Government of India. This is easier now that education is in the Concurrent List.

Lastly, I want to know whether the Government will come forward to ban caste names at the official level. I raised this during the last session also. Only by doing it can they do justice to the scheduled castes and scheduled tribes. If the caste names are there, we cannot avoid them. In our AIADMK Party, nobody is allowed to retain his caste name I ask all the young MPs. of the Janata, Congress and other parties to form a group to fight this evil and impress upon the Government to immediately ban caste names at the official level. This Government must come forward to do it. Otherwise, the day will come when the scheduled castes and scheduled tribes people will revolt against this kind of attitude, and they will start a revolution in the country to ban caste names.

*SHRI GOVINDA MUNDA (Keonjhar): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak a few words on the twenty-third and twenty-forth reports of the

*The original speech was delivered in Oriya.

[Shri Govinda Munda]

Commissioner of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the Year 1974-75, 1975-76 and 1976-77. As I understand, there is no use of discussing this report. It is unnecessary wastage of time, rather it would be better to al this time to some other business of the House. In our part of the country there is a saying that there is no use of doing labour for nothing; because whatever has been mentioned in the report has been accepted by our countrymen.

When our country became independent, our leaders decided to give first priority to the upliftment of the Adivasis and Harijans. Due to their poverty they were leading very miserable lives. They were living in the forest and hilly areas. So special provision was made in the Constitution for the upliftment of these people. Long before independence Mahatma Gandhi, father of the nation, had also suggested to our countrymen to work for the welfare of the Harijans, Adivasis and other backward people. This was the main task before our countrymen to take forward the downtrodden people. Sir, 30 years have passed ever since we achieved independence. The Government from time to time allocated funds for the development of Scheduled Tribes and Scheduled Castes. But due to the political conspiracy of the previous Government these people could not make any progress. In fact because of the reservation of seats we got the opportunity to become the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha or the State Legislature Assembly. But merely by becoming member or merely by discussing the report on the floor of the House we cannot be able to solve the problems of the Adivasis and Harijans. Out of my thirty years of political experience I can say that the Adivasis have not made any remarkable progress in their standard of living. They are still in dark to know what the Government is going to do for them. Nobody denies that they have progressed to some extent in the field of education By the by we have also developed politically. But there are some public leaders who are not prepared to tolerate our progress. Now they are speaking a different language. They say that the condition of the Adivasis and Harijans will improve slowly.

Sir, the reservation of seats of Members for the Lok Sabha, Rajya Sabha and the State Assemblies will be abolished by 1980 The members who are speaking against the reservation do not know about their future after 1980. They are having a double faces They should think about the welfare of Adivasis and Harijans.

Sir, the total population of our country is about 60 to 65 crores. Out of them 25 per cent are Adivasis and Harijans. We need huge amount of money to see the betterment of our people. In our country we have enough resources. If we utilise our resources properly, the status of Scheduled Tribes and Scheduled Castes will certainly improve. But there should be sincerity in the implementation of the plan and programme of our Government.

Sir, the Congress Government ruled our country for thirty long years. During their regime they were announcing it with the beat of drum that they were doing a lot of things for the upliftment of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. They had allocated crores of rupees under this head, but due to their negligence in the management, they could not achieve their goal. Crores of rupees have been misappropriated. After our Janata Government came to power we have worked very sincerely. That is why the Adivasis and Harijans have progressed to some extent within these two years. This I can boldly say here in this House. But at this stage some politicians are creating chaos amongst us. They are also creating trouble among the people by carrying on malicious propaganda. This is what we see in the Land Settle-

ment Department. Therefore, I would like to request the Government that if the Minister who belongs to Harijans is unable to handle his Ministry, then other caste-Hindu Ministers should help him. A special Cell should be set up to see the implementation of the programmes of this Ministry. Prime Minister should guide the Minister who is in-charge of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Then only the lot of the crores of the downtrodden people of our country can improve; otherwise no improvement can be possible.

Then, I would like to speak some thing about Government plan to provide loan to the Adivasis for keeping pigs and also for raising poultry farms As per the policy of the Government, they give loan of 25 per cent of the total investment and they allow 75 per cent of the subsidy. This is included in the Tribal Development Scheme. Our Government is also giving loan for 'podu' cultivation. The same 25 per cent loan and 75 per cent subsidy system is also there for 'podu' cultivation. Sir, I represent the constituency called Keonjhar. A caste called Juang is living in the hilly area. They are very poor. Their lands are not at all cultivable. They do not have any irrigation facilities. How can they cultivate their lands and harvest crops? They also need training so that they can adopt the modern methods in cultivation. There are also some other banks and credit institutions wherefrom they can get loan. But it is very difficult on their part to repay the loans etc. as they do not have the means to get a rich crop. Therefore, mere loan cannot be an asset to them; it is a liability, instead. However, with the support of all the classes in our society, the condition of these people can be improved.

We could become self-dependent with the 30 years' rule of the Congress Government. I am proud to say that after our party has come to power, we have not at least been importing any foodgrain from other countries. But the Adivasis and Harijans have not yet become self-dependent. They are still under the bane of poverty. So many Commissions have been set up and their reports have been placed on the Table of this House at different times. But will the Honourable Minister say what is the *per capita* income of Adivasis now? If the Minister is not able to answer this question, how can he vouchsafe the development of this class of our society? It was our programme to see that the Adivasis and Harijans have developed in the field of agriculture and also in economic. Under what rule you are saying that the ceiling land will be distributed to this class of people.

Sir, thousand of acres of fallow lands are lying in the forest and hilly areas. Those lands should be converted into agriculture land and that should be distributed among these people. The honourable Minister is from Bihar. I belong to Keonjhar district of Orissa. He knows very well about the fallow lands of Orissa. Sir, the Minister is sleeping. He is not listening my speech.

The irrigation projects of the rural areas should be taken up in a large scale. Our Adivasi people should be self-dependent in agriculture. But they should not be encouraged for the pig and poultry farming. Because they have no idea for raising such business. We should dedicate our entire life for the welfare of the Adivasis and Harijans.

Now, I would like to speak a few words about some other problems of the Adivasi belts. Sir, they do not have drinking wells in their areas. Lack of communication facilities and schools they are not able to improve their lot. Therefore, funds allocated under the head of tribal welfare should not be cut down. If we do so, their condition will not improve.

[Shri Govinda Munda]

The other day I heard the speech of my hon. friend Pabitra Pradhan. Once upon a time he was incharge of the Ministry of Tribal and Rural Welfare. I do not know on what basis he said that the untouchability is not in our country. Still there are cases of atrocities on the Harijans and Adivasis in our country. Of course these are quite less in Orissa. All these cases are happening due to the political conspiracy. Therefore if we really want to defend them and safeguard their interest we should not use the language like Pabitra Babu. We all should work together under one banner.

Lastly, I would like to appeal the Government to extend 30 years more for the preservation facilities of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. Finance Commission or any Commission for Scheuled Castes and Scheduled Tribes are of no use. How can we eat Ghee by getting loan These all type of cooperation should be extended to us With these words I conclude my speech

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1971-75, 1975-76 और 1976-77 की जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्टस है, आज बहुत जोर व दबाव के बाद दो दिन से उन पर चर्चा चल रही है।

मैने इन रिपोर्टों को पढा है लेकिन पिछले सालो की जो पिछली रिपोर्ट थीं और उन पर जो बहस हुई थी, उस बहस के दौरान जो कई प्रश्न उठाए गये थे, सरकार ने उस वक्त यह आश्वासन दिया था कि जो संस्तुतियां की गई हैं, हम उन पर विचार करेंगे और उन को लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि बहुत सी संस्तुतियां जो पिछली रिपोर्टों में की गई थी, उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है, नहीं तो शायद उन संस्तुतियों को कमिश्नर साहब को दोहराने का अवसर इन रिपोर्टों में न आता। मैं यह उदाहरण देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि जो आयुक्त का आफ़िस है इसको सक्षम बनाया जाना चाहिए। हम संसद सदस्यों ने भी पहले इस बात को कहा था कि इस को सक्षम बनाया जाए और प्रदेशों में भी इस का विस्तार किया जाना चाहिए। अकेली एक इकाई इस देश के अन्दर केन्द्र मे रहे और आप यह चाहे कि पूरे हिन्दुस्तान भर का जायजा ले ले और सारी स्टेट्स मे जा कर अध्ययन कर के इस रिपोर्ट के अन्दर समावेश कर दे, यह सम्भव नहीं है, मैं ऐसा मान कर चलता हू। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि गृह राज्य मंत्री इस और ध्यान दे और इस पर विचार करे।

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) वह हैड ओवर कर दिया गया है।

श्री रामलाल राही अगर कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है।

दूसरी बात मै अस्पृश्यता के सम्बन्ध मे कहना चाहूगा। वह पुन दोहरायी गई है। मै यह कहना चाहूगा कि अस्पृश्यता के सम्बन्ध मे हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पाच साल के अन्दर हम अस्पृश्यता का समाप्त कर देगे और साथ ही एक बात उन्होने यह भी कही थी कि हम बेरोजगारी को 10 साल मे समाप्त कर देंगे। ये दोनों ही प्रश्न ऐसे है, जो खास कर हरिजनो से जुडे हुए है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगो से जुडे हुए हैं और मैं यह मान कर चलता हूं कि ये समाप्त नहीं होंगे। न तो आरक्षण पूरा होने को है और न ही अस्पृश्यता जाने को है। अभी हमारे भाई कुरील साहब कह रहे थे कि नीति और नीयत का प्रश्न है। हम नीति कैसी ही बना दें जब तक नीयत स्पष्ट नही होगी तब तक कोई भी आपके नीचे बैठने वाली मशीनरी जिसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं सक्षम नहीं हो सकती है और न वह काम कर सकती है और न वह आपकी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो आपके

सुविधाएं दे रखी हैं उन्हें पूरा कर सकती है। मेरा अपना विचार है कि तीस सालों में कांग्रेस राज में जिस प्रकार से इन लोगों के प्रति उपेक्षा बरती गयी उसी प्रकार से हमारी सरकार के जमाने में भी वही उपेक्षा नीति चल रही है, संभवत: चार कदम आगे बढ़ कर चल रही है।

जब देश में चुनाव के बाद परिवर्तन आया, कांग्रेस की सरकारों के स्थान पर जनता सरकारें आयीं तो यहां के देशवासियों ने, गरीब लोगो ने, पिछड़े लोगो ने निश्चित रूप से यह सोचा था कि जब सरकार बदली है तो हमारी कुछ मान्यताएं बदलेंगी और नीचे के तबके के जो लोग हैं, गरीब लोग है, लेण्डलेस लेबरर्स हैं उनको कुछ काम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ मर्यादा मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह सोचना निरर्थक रहा। पहले जो उनके प्रति उपेक्षा नीति थी वह कुछ मेरे विचार मे ज्यादा ही बढ़ गयी है।

इस सदन मे कुछ प्रश्नों को लेकर मैंने चर्चा मे हिस्सा लिया था। जब चौधरी साहब गृह मन्त्री थे तब मैं उनसे भी और प्रधान मंत्री जी से भी मिला था और उनसे कहा था कि हरिजनों को यहां सताया जा रहा है। उस समय गृह मंत्री जी ने कहा था कि कहां सताया जा रहा है। वही हाल आज हमारे प्रधान मंत्री जी का भी है। आज कोई इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझ सदस्य तक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप एक संसद् सदस्य की बात को नहीं सुनते तो एक आम आदमी की बात को कैसे सुनेंगे, अखबार वालों की बात को कैसे सुनेंगे आप उनकी बात सुनेंगे मुझे इसका विश्वास नहीं हो।

पिछले वर्ष गृह विभाग की अनुदान मांगें पेश की गयी थीं उस समय उन पर मुझे बोलने का अवसर मिला था। उन पर बोलते हुए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में तालगांव नामक गांव में बलिराम नाम के एक हरिजन की तीस मार्च को हत्या कर दी गयी है। पहले उसे इतना मारा कि वह तड़फने लगा और जब वह तड़फ रहा था तो उसे उसी हालत में जेल में बन्द करने ले जाया जा रहा था। जेल तक पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गयी। इसी मामले को लेकर मैंने वहा भूख हड़ताल की थी। बाद में उसी मामले को मैंने इसी सदन में उठाया था और उसकी वकालत की थी। लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी, प्रधान मंत्री जी और अन्य किसी के भी कान पर जू नहीं रेंगी। उसका नतीजा यह हुआ कि अभी 30 तारीख को पुलिस ने एक हरिजन की और हत्या कर दी। वह किसी अपराध में इन्वाल्व नहीं था। लेकिन उसको दारोगा पकड़ लेता है, मारता है। वह बेहोश हो जाता है और अपनी चौकी पर ले जाता है। वहां डाक्टर को बुला कर उसे इंजेक्शन लगवाया जाता है। उसके बाद वह मर जाता है। उसके मरने के बाद उसकी लाश गायब कर दी जाती है। दिल्ली मे चोपडा नाम के एक अधिकारी के दो बच्चे मारे जाते हैं तो 24 घण्टे के अन्दर उनकी लाश तलाश कर ली जाती है। पुलिस वाले बम्बई तक भागे हुए जाते है। उस गरीब हरजन को दारोगा ने मारा, पुलिस वालो ने मारा, गाव के लोग यह जानते हैं लेकिन उसकी लाश नही मिलती है। जब पुलिस चौकी को घेरा जाता है तो जिला अधिकारियों की आंख खुलती है और वह भी इसलिए कि कही पुलिस चौकी को न लूट लिया जाए। इस डर से अधिकारी दौड़ कर मौके पर आये तब जाकर उन्हे मालूम हुआ कि एक हरिजन मारा गया है। आज तक लाश गायब है। मैं उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्य मंत्री को मिला, गृह सचिव को मिला, सभी जिला अधिकारियों को मिला, अभी पिछले उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों को जब अपने घर पर बुलाया गया था तो मैं वहां प्रधान मंत्री जी के नोटिस में इस चीज को लाया था। मुझे गृह राज्य मंत्री जी बतायें कि प्रधान मंत्री

[श्री राम लाल राही]

जी ने इस मामले को अपने नोटिस में लिया या नहीं और इस पर उन्होंने क्या किया ?

इसलिए मैं कहना हूं कि अगर किया होता तो जिला अधिकारियो से, जिला प्रशासन से मुझे इसकी जानकारी मिल गई होती क्योंकि मैंने बीच मे उनसे प्रश्न यह उठाया था और पूछा था कि क्या उनके पास इसके बारे में कोई चीज आई है या नहीं और उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास कुछ नही आया है । आप कोई कमेटी बिठाएं या कमीशन बिठाएं या जांच करायें रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी और अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो सारी रिपोर्ट बेकार है, सारा काम बेकार है और यहां बोलना भी बेकार है ।

आरक्षण कैसे पूरा हो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये । राज्य सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में जो आरक्षण आपने दे रखा है उसको आप पूरा करें इसके साथ ही व्यावसायिक संगठनो मे भी, उन कामों में जिन कामों के लिए आप आम जनता को कोटा लाईसेंस आदि देते है, उनमे भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। मैं आपके माध्यम से जोरदार शब्दों में श्री बहुगुणा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन लोगो के लिए एक सराहनीय काम किया है और उनको व्यावसायिक संगठनों मे भी उसी तरह से संरक्षण प्रदान किया है जिस तरीके से उनके लिए सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं । उत्तर प्रदेश के अन्दर जब वह थे तब भी उन्होंने यह काम किया था और अब यहां पर भी उन्होंने पैट्रोलियम, फर्टिलाइजर, कैमिकल्स आदि में आरक्षण कर रखा है । पैट्रोल पम्प पच्चीस प्रतिशत इन लोगों के लिए उन्होंने आरक्षित कर रखे हैं, खाद एजेन्सी अगर लेना चाहें तो पच्चीस प्रतिशत हरिजनों आदि के लिए सुरक्षित कर दिये गए हैं । इस तरह से दवाइयों कैमिकल्स में भी उन्होंने आरक्षण कर रखा है । वह ईमानदारी से इस काम को कर भी रहे हैं इस बात की मुझे खुशी है । इसकी मैंने स्वयं जांच की है, इस वास्ते मैं यह कह रहा हूं । मैंने नीति और नीयत की बात कही है । जिस व्यक्ति की नीयत साफ नही होगी वह जो नीति प्रतिपादित करेगा वह लागू नही हो सकेगी । नीयत साफ है तो नीति भी स्पष्ट होगी और उस पर अमल भी होगा । मैंने प्रधान मंत्री जी से उसी दिन यह अर्ज भी किया था कि बहुगुणा जी ने ऐसा कर दिया है और आपसे भी निवेदन है कि दूसरे विभागों से भी आप कहें कि जो गोडाउंज बनते है या कोल्ड स्टोर बनते है या एग्रिकल्चर से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे काम होते है या कोटा लाइसेंस वगैरह देते है स्टाल आदि का इनमें भी आप आरक्षण की व्यवस्था करें तो वह कहने लगे कि ऐसा नही हो सकता है । अब प्रधान मंत्री जी नीति कैसी भी बनाये, कैसी भी घोषणा करें मैं समझता हूं कि जब तक नीयत स्पष्ट नही रखेंगे निश्चित आप माने हरिजनों को लाभ नही होगा । प्रधान मंत्री बड़ी भारी चीज होती है देश के लिए । वह अगर नही चाहेंगे तो बहुगुणा जी के भी हाथ बंध जायेंगे, उनको भी अपने विभाग में रोक लगानी पड़ जायेगी क्योंकि उनके पास रुक्का पहुंचा जायेगा कि आपने बिना कैबिनेट से पास कराये हुये यह कैसे कर दिया । इस जमाने में, आपके राज्य मे, प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के राज्य मे, जनता पार्टी के राज्य में निश्चित रूप से हरिजन आदि न सुरक्षित हैं और जो संरक्षण आरक्षण उन्हें दिया गया है उसके पूरा होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । नीति का आप बखान तो हाउस में करते हैं लेकिन नीयत आपकी साफ नही है । अगर आप चाहते हैं कि जनता पार्टी सशक्त हो, सबल हो, गरीब को सुरक्षा

श्रौर संरक्षण मिले तो नीयत श्राप अपनी साफ कर लें श्रौर तब अगर श्राप काम करेंगे तो काम भी पूरा होगा श्रौर उसका श्रेय भी श्रापको मिलेगा। हमारे कुरील साहब ने कहा कि 25 प्रतिशत बजट का इन पर खर्च होना चाहिये। मैं कहता हूं कि पच्चीस नही पाच ही श्राप खर्च करे तब भी फायदा हो सकता है अगर श्राप की नीयत साफ हो। अगर नीयत साफ नही है तो पच्चीस परसेंट भी बेकार है। श्राज श्राप उनकी घोषणा करेंगे श्रौर साल के अन्त मे बतायेंगे कि कोई लेने वाला नही था, हम क्या करते। इस समाज के जो लोग है जो लेने वाले है वे सब गरीब, उनमें कहा से काम चल जायगा श्रौर बात खत्म हो जायेगी। इस वास्ते नीयत साफ होनी चाहिये। मै जनता पार्टी का मेम्बर हू श्रौर श्री मोरारजी देसाई मेरे प्रधान मन्त्री है। जिनके पक्ष मे रहना चाहते है उनके पक्ष मे मेरा हाथ उठता है। लेकिन शक इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसा हमारे भाई कह रहे थे कि 1980 मे रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। श्राप रिजर्वेशन बढा सकेंगे कि नही, कुछ नही कहा जा सकता है।

16 hrs.

इस सदन मे जहा हम बैठे है, बगल में राज्य सभा है, अगर यहा पर बैठ कर हम कोई कानून बनाये श्रौर वह कानून बनाये जो स्वयं यह सदन पूरा न करता हो तो क्या दूसरे लोग उसको मानेंगे? यहां श्रापकी सर्विसेज में चतुर्थ श्रेणी में जो झाड़ू देता है, बाहर सड़क साफ करता है, उनका तो कोटा पूरा कर दिया है क्योंकि पंडित जी झाड़ू नही लगायेंगे, पाखाना साफ नही करेंगे। लेकिन प्रथम श्रेणी में जीरो। शेड्यूल्ड कास्ट्स श्रौर शेड्यल्ड ट्राइब्स के कोटे में से एक भी व्यक्ति नही है। द्वितीय श्रेणी में केवल 2 हैं, श्रौर तृतीय श्रेणी मे 5 है। संख्या कुल कितनी है, 1200 लोक सभा मे श्रौर 450 राज्य सभा मे है। इतने कर्मचारी है श्रौर उनमे यह संख्या है। जब श्राप हो जहा है, यह सदन ही जहा है तो दूसरे विभाग वाले क्या सुनेंगे? वह कोई नही सुनेंगे। इसलिए श्रापके माध्यम से मैं अध्यक्ष, लोक सभा श्रौर सभापति, राज्य सभा से निवेदन करूंगा, सेक्रेटर साहब से कहना चाहूगा कि श्राप पहले अगुवाई कीजिए। अगर श्राप नही करेंगे तो हम लोग यहा बेकार भाषण दे रहे है, कोई सुनने वाला नही है। लोग हमसे कहेंगे कि जहा श्राप बैठे है, हमारे लिए हुक्मनामा लाये है श्रापके यहा क्या चलता है? तो हम क्या जवाब दे, श्राप जवाब दे दीजिए, हम वही जवाब दे। श्रौर अगर श्राप जवाब नही दे सकते है तो मै कहूगा श्रापको कोटा पूरा करना चाहिये नही तो काम नही चलने वाला है।

राज्य सेवाश्रो मे भी श्रारक्षण का मामला बड़ा गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है श्रभी एक महीने पीछे जूनियर इंजीनियर्स से सहायक इंजीनियर्स श्रौर सहायक इंजीनियर्स से एक्जेक्यूटिव इंजीनियर्स के पदो पर पदोन्नति हुई। हमने विभाग मे जाकर पूछा, कहने लगे कि इसमे शेड्यूल्ड कास्ट्स श्रौर ट्राइब्ज का कोई नही है। मंत्री जी के पास पहुच गये, मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट श्रानी चाहिये, वहा के सेक्रेटरी भी वही बैठे थे मंत्री जी के घर पर उनसे कहा गया कि 15 दिन मे रिपोर्ट श्रानी चाहिये। श्राज एक महीना हो गया लेकिन रिपोर्ट नही श्रायी। दो बार टेलीफोन किया, मंत्री जी गायब है, कोई रिपोर्ट नही श्रायी मैंने प्रधान मंत्री जी से भी कहा था, गृह राज्य मंत्री जी बैठे है, श्राज धारणा लोगो की यह है श्रौर सरकारी कर्मचारियो के बारे में लोग

[श्री रामलाल राही]

कहते हैं कि आज तो जमाना ऐसा आया है कि हमको आराम करना है, ऐसा खुद कर्मचारी कहते है, कोई काम नहीं है। दफ्तर में फाइल आती है, फिर लौट कर 15 दिन बाद फाइल आ जाती है। आपकी कोई नीति, रीति, कोई कानून, कोई योजना जो भी जाती है उस पर कोई काम नही होता। या तो आप मन से नहीं कर रहे हैं, या आपका मन साफ नहीं है, और या आपका नियंत्रण नही है। दोनों चीजों में आप दोषी होंगे। अगर मन साफ न हो तो मन साफ कीजिये, और अगर नियंत्रण न कर पाते हो तो नियंत्रण कीजिए। नही तो देश में आग लगी है, चाहे अलीगढ हो, चाहे गोरखपुर की आग हो और चाहे छुआ-छूत की दीवार किसी अस्पताल में बन रही हो। मैं कहना चाहूंगा यह तो फर्जी इटों की दीवार है, कभी भी तोड़ी जा सकती है। मन की दीवारें आप सब तोड़ दीजिए। जब तक हम नहीं तोडेंगे तब तक यह मानकर चलिए कि 100 साल पुराना हरिजन है। 100 साल पुराना हरिजन मर गया है, काल में चला गया है। अब 30 साल का जवान हरिजन है, उसने 30 साल की आजादी देख ली है, आपकी कार्य प्रणाली देख ली है, कारनामे आपके देख लिए हैं। आप सोचते हैं कि वाकई में हरिजन ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वह बडा अक्लमन्द हो गया है, अक्लमन्द इस मायने में कि वह जानता था आपका मन साफ नहीं है। इसीलिए वह आपके साथ सफाई के साथ नहीं आ सका। आपने भी यह नहीं सोचा कि यह जो 40 फीसदी आपके साथ आये हैं, हम इनके सामने अपना मन शीशे जैसा साफ रख दें। अगर ऐसा होता तो 100 फीसदी आपके साथ आते।

मैं प्रधान मंत्री जी से और कैबिनेट से कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को साफ कीजिए। जो कुछ करना चाहते हैं, वैसे ही कीजिए जैसा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने किया है। यदि आप चाहते है कि आपकी सरकार स्थायी रहे, यदि चाहते हैं कि हरिजनों को हम जीत सकें, आने वाले समय में फिर हमारी पार्टी शक्तिशाली और मजबूत हो सके तो आप सफाई से काम कीजिए। अगर नही तो बच्चा सक्का वाली बात होगी जैसे बच्चा सक्का एक दिन आये और चले गये। अगर आप कुछ करना चाहते है तो कीजिये नही तो आप भी चले जायेंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नही करनी है, दूसरी सरकार आयेगी तो उसके सामने रखूंगा।

अन्त में जो मेरे भाई ने लोक-सभा और राज्य सभा में आरक्षण की बात कही थी, मेरा निवेदन है कि उसे भी पूरा किया जाना चाहिये।

श्री डा० जी० गवई (बुलडाना) माननीय सभापति जी, सदन में जो आज बहस चल रही है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर, उसमें बहुत से सदस्यों ने भाग लिया है और अपने अपने विचार, जैसे उनको जंचे, उसी तरह से उन्होंने रखे है। पीछे हरिजन कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस हुई थी और उसमें मैंने भाग लिया था। उसी टाइम मैंने बोला था कि यह नाटक है, ड्रामा है, जो कि हर वक्त चलता रहेगा। हर दो-दो साल के बाद यह ड्रामा चलता रहेगा, शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में रिपोर्ट आयेगी और बहस के बाद रिपोर्ट बस्ते में बांध दी जाएगी। और रिकार्ड में डाल दी जायेगी। इसके सिवाय और कुछ होने वाला नहीं है।

मैं सर्विसेज के आरक्षण के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का अखंडत्व अगर कायम रखना है, यहां धर्म-निरपेक्ष राज्य

रखना है, यहा जाति-विहीन समाज व्यवस्था रखनी है तो जड की तरफ जाना होगा, कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना होगा। वह सोल्यूशन यह होगा कि अभी देश के हमारे संसद्-सदस्य बडी-बडी बाते करते है लेकिन अमल मे कितना लाते है। इस देश की धर्म और नीति दोनो सडी हुई है। लाखो साल से बोलते है, इस धरती पर रामराज्य था। लेकिन मै कहना चाहता हू कि रामराज्य मे भी हरिजनो पर अत्याचार होता था। राम ने भी शम्बूक नामक एक हरिजन का वध किया था, उसको मार दिया था। तो हम यह क्यो कहे कि यह हरिजन का मामला अभी जनता सरकार जब से आई तभी से चल रहा है या कांग्रेस सरकार थी तब से चल रहा है? इस देश मे जब से मनुस्मृति आई और मनु ने इस देश का सविधान लिखा उसने जाति-पाति को जन्म दिया, साम्प्रदायिकता को जन्म दिया। बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने मनुस्मृति को अंगार लगा दिया और वह नये स्मृतिकार हो गये। इस देश का सविधान उन्होंने बनाया जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति का अग्नि-सस्कार किया वही इस देश के स्मृतिकार हो गये, उन्होंने नया सविधान इस देश का लिखा और उसमे जो निदेशक सिद्धान्त लिखे उसके अनुसार इस देश की राजनीति चली। लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि हमारे मोरारजी हो या धनिक लाल मडल हो, या हम लोग हो या कोई भी लोग हो, हम यहा सदन मे आये है, बहुत से लोगो ने हमको यहा चुन कर भेजा है लेकिन इस देश की समवीय लोक-प्रणाली को जीवित रखने के लिए, इस देश को अखंड बनाए रखने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए क्या हम सच्चे दिल से काम कर रहे है? क्या कोई ब्राह्मण मेरी लडकी के साथ शादी करने के लिए तैयार है? अगर कोई है तो अपनी छाती पर हाथ ठोंक कर बोले कि मै तैयार हू। कोई है ब्राह्मण इस सदन में जो मेरी लडकी के साथ मे शादी करने के लिए तैयार है? अगर कोई है तो तैयार हो जाये। लेकिन नही, वह शादी नहीं करेगा। वह उसके साथ मे व्यभिचार जरूर करेगा, लेकिन उसके साथ मे शादी नही करेगा। "कोई हरिजन का लडका दत्तक मे नही लेगा। कोई यह नही कहेगा कि मैं बडा महात्मा हू, मैं बडा गाधीवादी हूं, मै इसको लेता हू, और गाधी ने तो हरिजनो का सत्यानाश कर दिया, हरिजन नाम लगा दिया। जरा सुन लीजिए, अपने सविधान मे हरिजन नाम कही नही है। यह हरिजन नाम गाधी ने दिया और हरिजन को पूरा कलकित किया कि जब तक हरिजन इस दुनिया मे जिन्दा है तब तक वह कलकित है, तब तक उसके ऊपर अत्याचार होते रहेगे, तब तक उसको पीसा जाएगा, तब तक उसका सर्वनाश किया जाएगा। मेरे एक भाई ने कहा कि हरिजन नामकरण जो गाधी जी ने किया है उसको समाप्त कर देना चाहिए। उस के लिए मै उनको धन्यवाद देता हू कि उनके मुख से ऐसे शब्द निकले जो मुझे जचे कि हरिजन नाम समाप्त कर देना चाहिए। किसी को भी हरिजन नहीं कहना चाहिए और जितने हरिजन सदस्य हैं उन्हे किसी की चमचागिरी नही करनी चाहिए। हरिजनो मे भी बहुत से चमचे है। वे समझते है कि चमचागिरी नही करेंगे तो चुनकर कैसे आयेगे? वह समझते है कि हम मडल साहब के साथ रहेगे, उनकी दुम पकड कर रहेगे तो हमे टिकट मिल जायगा और हम चुन कर आ जाएगे। तो हरिजन सदस्य जितने हैं उन से मैं कहना चाहता हूं मैं तो हरिजन कहना बडे शर्म की बात समझता हूं। हरिजन शब्द कहते ही मेरे अन्तःकरण का अग्निकुड बन जाता है, हृदय मे जो अमृत है वह सूख जाता है सिर फटने लगता है और मन तलवार की धार जैसा तेज और आक्रामक हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान है, हमारा भी वही खून है,

[श्री डी० जी० गवई]

हमारे भी वही दांत हैं, वही हाथ हैं जो तुम्हारे हैं। हरिजन के कोई सींग या दुम तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा खून सफेद है और बाकी का लाल है। हम सारे इसी धरती के रहने वाले हैं। इसी मिट्टी में पले हैं, इसी में बड़े हैं और हमारी हजारों सालों की हड्डियां इसी धरती में हैं। तो हमारे साथ में यह भेदभाव क्यों है ? हमें क्यों दूसरों से अलग समझते हैं। आप तो हरिजनों का आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि यह आरक्षण बन्द होना चाहिए। हरिजनों को तो यह मांग करनी चाहिए कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हम इस देश के अलग टुकड़े करना चाहते है, इस देश को अलग बांटना चाहते हैं और हरिजनों के लिए अलग एक दलित स्थान का निर्माण करना चाहते हैं। भीख मांगने का धंधा बन्द करना चाहिए। भीख मांगने से यह कुछ देने वाले नहीं हैं। मैं कहता हूं जब तक हरिजन क्रांति के लिए नहीं उठेंगे तबतक हरिजनों को दुनिया में न्याय नहीं मिलेगा और हरिजन नाम भी नहीं मिटेगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस देश की धर्म नीति ने देश का अधःपतन कर दिया है। जनता सरकार का हमने बड़ा स्वागत किया, बड़ा साथ दिया लेकिन साम्प्रदायिक और असमाजिक तत्वों को जनता सरकार आने के बाद बड़ा बल मिला, देश में साम्प्रदायिक दंगे बढ़ गए। देश में भयंकर दंगे हुए। मराठवाड़ा का दंगा हुआ जहां गरीब हरिजनों की जानें ली गई और उनके लाखों घर जला दिए गए। इस देश के निर्माता डा० अम्बेदकर की मूर्ति तोड़ी गई। आगरा में बहुत बड़ा हरिजन काण्ड हुआ। वहां पर वे बाबा साहब अम्बेदकर का जन्म दिन मना रहे थे। इस तरह के रोज अत्याचार होते हैं। मराठवाड़ा में हरिजनों को पानी भी नहीं मिलता है। हरिजन घड़े लेकर सवर्णों के कुयें पर जाते हैं और दूर खड़े रहते हैं कोई हृदय वाला आता है तो दूर से उनके घड़े में पानी डाल देता है। यह इस देश के लिए बड़ी लज्जा और कलंक की बात है कि आज भी इस देश में इनसानों को पशुओं की तरह से समझा जाता है, उनको दूर से पानी दिया जाता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के सामने मैंने और शंगारे जी ने मराठवाड़ा की यह हालत बयान की। मराठवाड़ा में परिस्थिति यह है कि जिन सवर्णों ने हरिजनों के घर जलाए उनके ऊपर पुलिस ने झूठे मुकदमे भरे जिसमे सारे लोग छूट गए, किसी एक को भी पनिशमेन्ट नहीं हो रहा है। सारे मुजरिम छूट रहे हैं वे लोग फिर से आजाद हो गए। वे समझते हैं कि सरकार हमारी हैं--चाहे इन्दिरा गांधी की सरकार हो चाहे जनता सरकार हो। वे समझते हैं हमारा कुछ नहीं होता है, राज हमारा है, हरिजनों को मारो, पीटो चाहे घर जला दो। वे समझते हैं 10-5 हरिजन मारना कोई बड़ी बात नहीं हैं। विनोबा जी महान सन्त हैं, मोरारजी भाई भी उनको मानते हैं। विनोबाजी ने गोहत्या बन्द करने के लिए फास्ट किया, आमरण अनशन किया। अनशन करने के दो दिन में ही सारे देश में खलबली मच गई। इस सदन में भी यह सवाल उठाया गया। गाय हिन्दू धर्म की मां है, गाय इनसान की मां है। मैं ने कहा भाई, फिर भैंस पर अत्याचार क्यों करते हो, भैंस भी तो दूध देती है, वह भी तो कोई न कोई चाची या मौसी होनी चाहिए। गाय को मां बोलते हो तो भैंस भी दूध देती है, उसको भी मौसी बोलो। कोई एम पी बोला कि अगले जन्म में तुमको भैंस का जीवन मिलेगा। मैं तो अगले जन्म की बात ही नहीं मानता। तो विनोबा जी को समझाने के लिए यहां से सारे एम पीज का डेलीगेशन गया। मैं कहता हूं गाय के लिए विनोबा जी अनशन कर सकते हैं लेकिन इस देश में लाखों हरिजनों का खून बहता है क्या इसके लिए भी कभी बोले कि हरिजन के खून का एक बूंद भी जमीन पर पड़ेगा तो मैं खुद अपने

को जला दूंगा ? क्या कभी भी ऐसा बोले हैं ? तो इस देश का लाभ महात्मा गांधी के विचारों पर चलने से नहीं होगा बल्कि डा० अम्बेदकर के विचारों पर चलने से लाभ होगा। गांधी जी के विचार महान नहीं है, डा० अम्बेदकर के विचार महान हैं। गांधी जी के विचारों पर चलेंगे तो वैसे ही पश्चिम ढाई से सौ वर्ष पीछे चल रहे हैं, 500 साल और पीछे हो जायेंगे। यहां पर तो मंत्र श्रेष्ठ हैं, यंत्र श्रेष्ठ नहीं है। आज की दुनिया में यंत्र ही श्रेष्ठ है, इनसान के लिए यंत्र एक वरदान देन हैं।

हमारे पिछले गृह मंत्री जो और आज के वित्त मंत्री ग्रामों का विकास करना चाहते हैं—कहते हैं कि आटा अपने हाथ से पीसना चाहिये, यन्त्र पर नहीं ले जाना चाहिये, चक्की में डाल कर हाथ से पीसना चाहिए। आप सोचिए—एक हाथ की चक्की कितने टन अनाज पीस सकती हैं ? वह कहते हैं कि कपड़ा हाथ से बुनना चाहिये, मिलों को बन्द कर दो, हाथ की बनी लंगोटी पहनना शुरू कर दो, सूट पहनना छोड दो। यह जो गांधी की बात है, आज के यन्त्र के युग में यह काम में आने वाली बात नहीं है। हमें इस देश में सच्चे मन से छुआछूत को मिटाना है—वरना कल इस के बड़े विपरीत परिणाम होने वाले हैं। आज देश बड़ी संक्रमण अवस्था में पदार्पण कर रहा है। आप यहां बैठे रह कर बात करते हैं—लेकिन मुझे सामान्य आदमियों से मिल कर बात करने का अवसर मिलता है, उन का दिल क्या कहता है—मैं जानता हूं। हमारे देश में आज साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं आर० एस० एस० की टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लोग कहते है कि जब से जनता पार्टी आई है, तब से आर० एस० एस० को फर्टिलाइजर मिल गया है, दवा मिल गई हैं, वे बहुत तगड़े हो गये हैं। चड्डी पहन कर, लाठी लेकर मैदान में कूद रहें हैं। संघ के जो सरसंघ चालक—देवरस जो हैं—मैंने दिल्ली में उन के भाषण को सुना था। उन्होंने कहा था—हम जो हिन्दू संगठन की बात करते है—इस में क्या बुरी बात करते है। हम इस देश को हिन्दू राष्ट्र रखना चाहते है। क्या अब तक यह हिन्दू राष्ट्र नहीं था—क्या इस को अब कुछ और बनाने का जरूरत हैं। अगर आप हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते है तो बाकी लोगों का क्या होगा ? इस देश में 17-18 परसेन्ट बौद्ध हैं—वे खाली रिजर्वेशन के लिये अपने को हरिजन लिखते हैं, लेकिन दिल से बौद्ध हैं, क्योंकि डा० अम्बेदकर ने आदेश दिया था कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करो—इस लिये वे बौद्ध बन गये थे—उन का क्या होगा ? जो हरिजन हैं—वे दिल से हरिजन नहीं हैं, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिये अपने को हरिजन लिखते हैं, लेकिन दिल से डा० अम्बेदकर को मानते हैं। कोई भी हरिजन दिल से कभी भी डा० अम्बेदकर के खिलाफ नहीं जा सकता—यहां पर हम चाहे कुछ भी बोलते रहें। ये रिपोर्टें तो हमेशा यहा पर आती रहेंगी, बहस का यह नाटक चलता रहेगा, मिनिस्टर नोट्स लेते जायेंगे, कौन क्या बोलता है सब लिखते जायेंगे—लेकिन इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं हैं।

इस लिए मैं कहता हूं—देवरस जैसे लोग जो कहते है कि हम हिन्दू का संगठन बनायेंगे—तो इस देश मे जो बौद्ध है, ईसाई है, मुसलमान है—क्या वे इस देश के नहीं हैं, कहीं बाहर से आये थे ? वे भी इसी देश के हैं, वे भी तुम्हारे जैसे इस देश के हकदार है और तुम्हारे कहने से या धार्मिक बिल लाने से इस देश की समस्या हल होने वाली नहीं है यह उसी समय हल होगी जब गांधी युग में जो इस को हरिजन का नाम दिया गया है—उस को समाप्त किया

[श्री डी० जी० गवई]

जायेगा। हम एक दूसरे के गले मिल जायं, ब्राह्मण की लड़की शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की ब्राह्मण के घर में जाये। जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे तब कुछ परिवर्तन आ सकता है, वरना यह छूआछूत मिटने-वाली नहीं है।

मै अपने गाव में जाता हूं--अपनी कांस्टीचूएन्सी की बात कहता हूं—मेरे लिये वहां कप-सौसर मे चाय आती है, लेकिन मेरे साथ जो शेड्यूल कास्ट का भाई बैठा होता है, उस के लिये कटोरी मे चाय आती है, उन के लिये कप- सौसर में चाय नहीं आती। मैं जब उस का विरोध करता हूं और कहता हूं कि ऐसा क्यो हो रहा है ? तब कहते है कि तुम तो चले जाओगे, हमारे लिये क्यो झगडा डालते हो। उस को कप-सौसर मे चाय देने से झगड़ा पडता है। इस फर्क को खत्म करना होगा –अगर आप इस देश का भला चाहते है। अगर इस देश को अखण्ड रखना चाहते हो तो यह हिन्दू संगठन की बात इस देश को अखण्ड नहीं रख सकती। लाखों जवान हमारी सीमाओ पर लडते है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं वे जानते है, और अपने खून को बहा कर देश की रक्षा करते है। खाली लाठी ले कर चड्डी पहन कर देश की रक्षा होने वाली नहीं है। देश की रक्षा करने के लिये हमारे पास फौज है और वह देश की रक्षा कर रही है। इसलिए हिन्दू राष्ट्र हों और एक हिन्दू संगठन बना कर देश की रक्षा करने की बात करना सही नही है। इस से जातिपात को बढ़ावा मिलेगा और साम्प्रदायिक दंगे भड़केंगे और इस देश का सर्वनाश हो जायेगा। इसलिए इस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। यह देश सारे लोगों का है, ईसाईयों का यह देश बुद्धों का यह देश है, हरिजनों का यह देश है और हिन्दुओं का यह देश है और धर्मनिरपेक्षता जो यहां की राज्य व्यवस्था है, उस को कायम रहना चाहिए।

इसलिए मै और ज्यादा टाइम न लेते हुए, यह कहना चाहता हूं कि अगर अस्पृश्यता को मिटाना है, तो फिर आपसी व्यवहार करो, जितने पार्लियामेंट के सदस्य है, वे एक दूसरे के समधी बने और 117 आर्टिकल जो हमारे संविधान की शेड्यूल्ड कास्टस के बारे मे है, उस का मद्देनजर रखते हुए, वे एक दूसरे के गले मिल जाएं और देश मे जातपात को मिटा दे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) सभापति महोदय, अभी जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है, उस के बारे मे मै यह कहना चाहता हू कि हम लोगो ने सब से बड़ी मांग यह की थी कि जब भी कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस की जाए, तो उस के साथ मे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सम्मिलित रहे क्योकि सिर्फ रिपोर्ट ही पेश कर दी जाएगी और उस पर सरकार की ओर से जो कार्य-वाही की गई है, वह सम्मिलित नही की जाएगी, तो फिर जैसा कि हमारे साथियो ने कहा कि उस का कोई उपयोग नही हो पाएगा और कभी प्रयोग नही होंगा।

कमिश्नर की रिपोर्ट को अगर आप देखें तो यह पाऐंगे कि जिन समस्याओं की उस में चर्चा की गई है और जो उस के लिए उन्होंने सिफारिशे की हैं, मैं समझता हूं कि काफी मेहनत कर के उन्होंने रिपोर्ट को रखा है और जितना हम लोग यहां बोल रहे है, भाषण दे रहे है, करीब करीब सभी

चीजें उस में मौजूद है । सब से बड़ी बात यह है कि हम लोगों को बुलवाने की बजाए अच्छा यह होता कि सरकार के द्वारा एक एक प्वाइन्ट पर अभी तक क्या किया गया है, कमिश्नर ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, यह सरकार यहां बता देती ।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में हमारे साथी श्री गवई जी बोल रहे थे कि छुआछूत बन्द होना चाहिए । हम का ऐसा लगता है कि उसमें आप का भी कसूर है । जो गंगा राम अस्पताल है, वहां मैं आज गया था, तो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या हल्ला कर रहे थे, क्या मामला था, क्या अछूत की बात है ? मैं आप को बतलाता हूं कि गंगा राम अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल है, जो ट्रस्टीशिप के अन्दर चल रहा है । उसके अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एस० एम० साकरी है । आप समझिये कि सन् 1976 में एक दीवार खींच दी गई और कह दिया गया कि यह अछूत दीवार है, अनटचेबिल वौल है । क्या कहा कि ये ये जो अनुसूचित जातियों के लड़के है, ये जो छोटी जातियों के लडके है, ये जो छोटे कर्मचारियों के लडके है, ये अफसरों के लड़कों के नजदीक जाते है, तो उन का संस्कार खराब होता है, इसलिए दोनों को अलग किया जाए । इमर्जेन्सी के दौरान, उस समय इमर्जेन्सी थी, जब लोगों ने थाने में कुछ नहीं कहा और डर के मारे मुकदमा नहीं चलाया क्योंकि अगर कुछ बोलते तो जेल में बन्द कर दिये जाते । जब इमर्जेन्सी खत्म हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन लोगों ने दर्जनों बार प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को लिखा और तमाम जगहों पर लोगों को अप्रोच किया लेकिन उस का रिजल्ट आज तक कुछ नहीं निकला और सब से दुःखद विषय यह है कि वहां हरिजन औरतों को पीटा गया और बाल पकड कर उन को खींचा गया और अब 4 शेड्यूल्ड कास्ट्स के कर्मचारी 35 दिनों से आमरण अनशन कर रहे है और मैं आप से यह कहता हू कि यदि आज रात तक सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हो सकता है कि कल हम को दुःखद न्यूज सुननी पड़े, उस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए । कहीं कल तक उन की मृत्यु न हो जाए और हमारे साथी सही बात कहते है कि अगर सरकार। सत अनशन करता है, तो उस के लिए दिल्ली और पूरी राजधानी में खलबली मच जाती है दो दिनों के अन्दर ही और यहां पर चार अनुसूचित जातियों के आदमी 35 दिनों से अनशन पर है, दिल्ली प्रशासन के नीचे, भारत सरकार के नीचे लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है । इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने माननीय गृह मंत्री जी से कहूगा कि वे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात करें क्योंकि

[श्री राम विलास पासवान]

यह अनुसूचित जातियों का मामला है और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भी यह मामला आ जाता है। आप निश्चित रूप से निर्देश दें और उनके अनशन को समाप्त करा दें। उनकी जो मांगें हैं वे हमारे लोगों के शासन की देन नहीं हैं, वे एमर्जेंसी के शासन की देन है। कम से कम इस पुण्य काम को आप जरूर करें।

सभापति जी हमारे न्यायालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की क्या हालत है। इस सम्बन्ध में मैं श्री एस० एम० सीकरी का जानबूझ कर नाम लेना चाहता हूं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे पूरे देश में उच्च न्यायालयों में 352 न्यायाधीश है और उन 352 न्यायाधीशों में 4 अनुसूचित जाति के हैं अनुसूचित जनजाति का एक भी नहीं है। यह बात अनुसूचित जाति और जनजाति के कमिश्नर की रिपोर्ट में भी कही गयी है।

कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि "जहां तक कुल मिला कर जिला न्यायाधीशों का संबंध है, खेद के साथ यह उल्लेख करना पड़ता है कि जब इस कार्यालय ने इस संबंध में प्रत्येक राज्य से सूचना मांगी तो केवल 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपेक्षित सूचना दी और उससे पता चलता है कि उनमें अनुसूचित जाति का केवल एक ही जिला न्यायाधीश है।"

सभापति महोदय, यह तो हुई न्यायालयों की बात। हम लोगों को कभी कभी बुनियादी सवाल पर जाना पड़ता है। गांवों में मारपीट हो जाती है या कुछ और हो जाता है। हम लोग तो कोर्ट में चले जाते हैं लेकिन जो गांव के गरीब लोग है उनको तो न्यायालय में जाने पर भी न्याय नहीं मिलता। सभापति जी, यह बात मैं अपने मन से नहीं कहता हूं यह कमिश्नर की रिपोर्ट हैं। इस में कमिश्नर ने कहा है—तमिलनाडु की घटना के सम्बन्ध में।

"यहां तमिलनाडु के एक मामले का उल्लेख करना संगत होगा। जहां कुछ वर्ष पहले अनुसूचित जातियों पर बेलची की दर्दनाक घटना से भी आकार और प्रकार में लगभग चार गुना अधिक अत्याचार किये गये थे। अनुसूचित जातियों के लगभग 42 सदस्य जिनमें 20 बच्चे भी थे, जिन्दा जला दिए गए। अत्याचारों के शिकार व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक थे। मामला मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आया और अपराधी व्यक्ति बरी कर दिए गए। उक्त न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है—

"इस के अलावा, यह तथ्य कुछ आश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है कि इस मामले से सम्बद्ध सभी 23 अपराधी मिरासदार हों। इनमें से अधिकांश लोग धनी हैं और वे बहुत बड़े भू-क्षेत्र के मालिक हैं। साक्ष्य यह है कि पहले

अपराधी के पास अपनी कार है, मिरासदार वामपंथी कम्युनिस्टों से प्रतिशोध लेने के लिए कितने भी बेचैन हो, यह विश्वास करना कठिन मालूम पड़ता है कि वे स्वयं घटनास्थल पर जाकर बिना अपने नौकरों की सहायता लिए घरों में आग लगा दी हो। भूखे और हताश श्रमिकों की अपेक्षा व्यापक निहित स्वार्थों वाले धनी लोगों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देने की आशा की जा सकती है। ऐसी आशा की जा सकती है कि मिरासदारों ने अपने को आड़ में रखा हो और अपने भाड़े के दलालों को इन कई अपराधों को करने के लिए भेज दिया हो। जिन्हें अभियोजन के अनुसार मिरासदारों ने स्वयं सीधे घटनास्थल पर आ कर किया है।'

निर्णय में आगे कहा गया है :

'विद्यमान सत्र-न्यायाधीश ने जो निष्कर्ष निकाला है, हम उनके इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का कारण उपद्रवी भीड़ का सामान्य उद्देश्य नहीं था।'

अन्त में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा :

'हमारी राय में 25 दिसम्बर, 1968 की रात को हुई दर्दनाक घटना के लिए हमलावरों को दोषी ठहराना चाहिए किन्तु खेद है कि साक्ष्य के आधार पर हम किसी को अपराधी करार दे कर उसे दंड देने की स्थिति में नहीं हैं। हमने अनाज से छिलका अलग करने का भरसक प्रयत्न किया है और साक्ष्य का मूल्यांकन करने संबंधी सामान्य मानकों से विचलित हुए बिना कुछ अपराधियों के दोष को सिद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन अभियोजन साक्ष्य में अन्तर्निहित कमजोरियां हमें उन व्यक्तियों को सिद्ध-दोष ठहराने से रोकती हैं जो संभवतः निर्दोष हैं।"

सभापति जी 42-42 हरिजनों की हत्या की जाती है जिनमें 20 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन जब वह मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय क्या कहता है कि इनकी हत्या करने वाले सब के सब निर्दोष हैं। यह सब कमिश्नर की रिपोर्ट में है। आप इसे पढ़िये। इस में आगे कहा है। न्यायाधीश श्री डी० ए० देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा है—

"एक सामाजिक संस्था के नाते कानून का यह उत्तरदायित्व है कि परिवर्तन व्यवस्थित हो। सप्रयोजन लक्ष्य उन्मुख व्यवस्था के रूप में कानून का अर्थ लेना आवश्यक है।"

आगे चल कर उन्होंने कहा है—

"जिनके पास कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति है, लेकिन वे लोग जिन्हें कानून लागू करने और दंड देने का भार सौंपा गया है वे स्वयं उस वर्ग के होते हैं जो वर्ग पूर्वाग्रह से प्रभावित रहते हैं और वे उस वर्ग के नहीं होते जिन के लिए कानून बनाया जाता है, इसीलिए वे कानून को पूरी शक्ति से लागू करके सच्चा परिवर्तन लाने के लिए उत्साहित नहीं होते। इसके विपरीत अनुभव यह बतलाता है कि कानून का कार्यान्वयन ऐसे अनमने ढंग से किया जाता है कि उन लोगों का कानून

[श्री राम विलास पासवान]

में विश्वास समाप्त हो जाता है जिन के लाभ के लिए यह बनाया गया है ।"

इस प्रकार से कमिशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान की कोई धारा बाधक नहीं है उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में रिजर्वेशन देने के रास्ते में । मैं आपको बता चुका हूं कि 352 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं जिन में से मात्र चार ही इन जातियों के हैं । सरकार को हिम्मत और बहादुरी के साथ आगे आना चाहिये और रिजर्वेशन वहां लागू करना चाहिये कनफ्रंटेशन की स्थिति आए भी तो उसका उसको मुकाबला करना चाहिये । सरकार को कहना चाहिये कि न्यायपालिका में चाहे जिला जज हो, उच्च न्यायलय का मामला हो यह सुप्रीम कोर्ट का मामला हो न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को हम विशेष अवसर देंगे, उन के लिए रिजर्वेशन करेंगे ।

आश्चर्य की बात है कि माननीय न्यायाधीश कुछ कहते हैं और हमारा जो विधि मंत्रालय है, जो हम लोगों का आदमी है, जिस को यहां पर हमारे पक्ष में बात कहनी चाहिये वह कुछ दूसरी ही बात कहता है और हमारे विरुद्ध बात कहता है । गोली, बीस कदम, कदम, तीस कदम ।]

मुख्य न्यायाधीशों के विचार हैं:

मुख्यः योग्यता के आधार पर ही विचार करना है और केवल पूर्ण निरपेक्ष मूल्यांकन को ही मान्यता दी जानी है । कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते हैं ।

इससे आगे बढ़ कर विधि मंत्रालय ने अपना विचार पेश कर दिया है कि कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है । कमिश्नर साहब कहते हैं कि कोई संवैधानिक बाधा नहीं है जिस के चलते इसको रोका जा सकता हो लेकिन आप कहते है यह नहीं हो सकता है ।

कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण के विषय में जो कहा है और जो आंकड़े दिए हैं वे भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बारे में मैं रख रहा हूं । प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों का 3.46 है और द्वितीय मे 5.41 है जबकि जन जातियों का 0.68 और 0.74 है अर्थात् एक प्रतिशत भी नहीं है । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां प्रथम श्रेणी में यह 1.68 प्रतिशत और द्वितीय में 0.36 प्रतिशत है अनुसूचित जातियों और 3.19 प्रतिशत और 0.54 प्रतिशत ही जन-जातियों का है । इन आरक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता है ।

जहां तक प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन का सम्बन्ध है कमिशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है । एक बार जब बैठक आयोजित हुई थी उस बैठक में भी यह कहा गया था कि अगर प्राइवेट फर्मों या फैक्ट्रियों वाले रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें बन्द कर दी जानी चाहिये । एक बार उनको बन्द कर दिया गया तो आटोमैटिकली वे बाध्य हो जाएंगे रिजर्वेशन देने के लिए । रिपोर्ट में कहा गया है :

प्राइवेट उद्योग को लाइसेंस जारी, वित्तीय सहायता मंजूरी, औद्योगिक स्थल

आवंटित और अन्य सुविधायें प्रदान करते समय उन पर यह शर्त की जाएगी कि वे अपनी नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी सरकारी नीति को अनिवार्य रूप से मानें। यदि प्राइवेट सैक्टर के प्रतिष्ठान सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्ति में सरकार के उत्तरदायित्वों में हाथ बंटाने में रुचि नहीं रखते हैं तो उन्हें सरकार से सहायता और लाभ देने के लिए नहीं कहना चाहिये।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। तेरह मिनट हो गए हैं।

श्री राम विलास पासवान : अभी तो मैंने शुरु ही किया है। अभी तक तो पांच सात मिनट ही हुए होंगे।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिए अवसरों की बात की जाती है। लेकिन नियुक्ति के समय भी उनके प्रति धांधली बरती जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। मैंने दो तीन बिल मूव किए हैं, प्राइवेट मैम्बर बिल। मैंने एक में कहा है कि इनको मिलने वाली सुविधायें अगले तीस बरस तक— जारी रखी जानी चाहिए। दूसरे मैंने यह भी कहा है कि एक राज्य में तो एक जाति अनुसूचित जाति में हैं। लेकिन दूसरे में अनुसूचित जाति की सूची में नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। वहां भी उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। बिहार में पासवान उस श्रेणी में आता है, उत्तर प्रदेश में पासी है, कहीं कहीं धोबी है। एक स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में है दूसरी जगह नहीं है, दिल्ली में नहीं है। तो आप उसको रोजगार नहीं दे पाते हैं। जब कोई आदमी बिहार से नौकरी के लिए आता है तो यहां आने के बाद उसका सोशल, इकोनामिकल स्टेटस बहुत ऊपर उठ जाता है, आप कहते है कि शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक स्टेट में जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में हो तो दूसरी जगह भी उसको उसी श्रेणी में रखिए।

कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रमाण-पत्र मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तीस हजारी में अफसर बैठे है, आज ऐप्लाई करें तो दो साल बाद उसको प्रमाण-पत्र मिलता है। जो इन आदमियों के लिए इतनी दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हाल है वह मैंने आपको लिख कर भेजा। मैंने सवा सौ लड़कों के बारे मे जो पटना के मेडिकल कालेजेज मे पढ़ रहे हैं जाली प्रमाण-पत्र ले कर उनके बारे में लिखा था लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टे वह लोग वहां धमकी देते हैं। इसलिए जो जाली प्रमाण-पत्र का मामला है वह जहां कहीं भी हो उसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

कहा जाता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का विकास चाहते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है। बैंकों का जब नेशनेलाइजेशन हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको

[श्री राम विलास पासवान]

दो पैसा उन बैंकों से ऋण नहीं मिला। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग हैं आपको पहले उनको ऋण देना चाहिए। आप उन से सेक्योरिटी मांगते है, जमानत मांगते है, तो वह बेचारे कहा से दें। जिसके पास खाने को अन्न नही, पहनने को कपडा नही, रहने को घर नही वह कहा से जमाननदार लायेगा? मेरा निवेदन है कि जो उनका शारीरिक श्रम है जो साल मे 5,000 रु० बैठता है वह उनकी जमानत मानी जाय उसके आधार पर ऋण दीजिये तब कुछ उनको लाभ मिल सकेगा। अन्यथा गरीब को कोई सुविधा नही मिल पायेगी।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (घाटमपुर) सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अपोजीशन में देख रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये कितना उदासीन है।

सभापति महोदय: एक दिन तो आपकी बैंच में एक भी आदमी नही था, सिवाय मंत्री के। इसलिये यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है।

श्री राम विलास पासवान: जो भी अनुसूचित जाति का अफसर है अगर वह थोडा सा भी बढ़ता है, मंडल जी को मालूम है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करते है तो उसका सी० आर० खराब कर दिया जाता है। हमारे यहां श्री विश्राम प्रसाद है, और बहुत से लोग है। तो आपको किसी अफसर को दंड देना हो तो आप सस्पेंड कर दीजिये। लेकिन खामख्वाह आप उसको नचा रहे हैं ताकि प्रोमोशन न पा सके। जब प्रमोशन का समय आयेगा तो सी० आर० खराब कर देंगे। इसलिए आपकी नीयत साफ नहीं है। कोई ऐसा विभाग नही है जिसमे अनुसूचित जाति और जनजाति के योग्य लोग उपलब्ध न हो सकते हों। लेकिन आपकी नीयत साफ नही है। आप प्रत्येक विभाग में सैल बनाइये, प्रधान मंत्री का विभाग ऐटामिक ऐनर्जी है उसमें सेल बना दीजिये और उसके लिये अलग से कालेज से ही विद्यार्थियो को चुन लीजिये और उनको शुरू से ही नर्स कीजिये। आप देखेंगे कि पांच साल मे कोई भी क्षेत्र ऐसा नही बचेगा चाहे इंजिनियर हों, डाक्टरी हो, या और कोई टैक्नोलाजिकल क्षेत्र हो, जिसमे अनुसूचित जाति और जनजाति के योग्य आदमी न मिलें। सब जगह वह हो जायेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके लिये कुछ करिये। विदेश सेवा और अर्थ सेवा मे मैं देख रहा था, लेकिन वह बिल्कुल इस मामले मे नगण्य है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी नियत साफ नही होगी, जब तक आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये अलग मिनिस्ट्री की व्यवस्था नहीं करते हैं और वह भी पावरफुल मिनिस्ट्री नही बनाते हैं तब तक इस मामले मे कुछ नही हो सकेगा।

बिहार मे कल्याण विभाग है और उसके मंत्री भी हरिजन ही हैं, लेकिन उनको पावर कुछ नही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अलग मिनिस्ट्री की व्यवस्था कीजिये और पावरफुल लोगो को मिनिस्ट्री का अधिकार दीजिये।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कमिश्नर हैं अपनी कमजोरी को नही बताया है लेकिन उसने संकेत किया है कि कमीशन को इतना ... दिया है, उसको एक कमरे में बन्द कर दिया है कि वह ठीक ढंग से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। आप भविष्य में इसको भी देखिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिव नारायण सरसुनिया (करौल बाग) : सभापति महोदय, गत बहस मे मैंने यहां कहा था कि इतने दिनों मे इतनी-इतनी देर में हमारी रिपोर्ट पर बहस क्यो होती है, समय पर क्यों नही होती

अब भी 3 साल की इकट्ठी रिपोर्टों पर बहस हो रही है यह भी एक एक वर्ष की तथा दूसरी रिपोर्ट 2 साल की है जो कि आज से साल भर पहले प्रस्तुत की जा चुकी थी, लेकिन उस पर बहस साल भर बाद हो रही है। इस कारण से रिपोर्ट मे जो हमारी सिफारिशें होती है, या जो कुछ इसके मुद्दे होते है, उनका परपज डिफीट हो जाता है ।

इसके साथ ही मुझे एक और आश्चर्य है कि 1947 मे जो हमारे लिये प्रतिशत निश्चित किया गया था कि इस आबादी के आधार पर 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वेशन दिया गया था, आज 32 साल के बाद भी आबादी हमारी वही की वही रखी जा रही है जब कि जो सवर्ण जाति के या उच्च जाति के लोग है, उनके 2 बच्चे होते है और शेड्यूल्ड कास्ट्स के 8, 10 बच्चे होते है। उनका प्रतिशत बढ़ना ही नही । समझ में नही आ रहा कि क्या हो रहा है ? मैं समझता हू कि इसके पीछे कोई न कोई इस तरह की साजिश है कि जिससे उनके पूरे आकडे नही दिये जाते है जिसके कारण से जो पूरे अधिकार उनको मिलने चाहिये, वह नही मिलते है ।

हमने प्रधान मंत्री जी को चण्डीगढ़ के सम्मेलन में पास कर के सभी प्रकार के प्रस्ताव बनाकर दिये । उसमें सभी प्रकार के हमारे सांसदों ने मिलकर एक कन्सैसस करके कुछ इस प्रकार के निर्णय लिये थे और उनसे उम्मीद की जाती थी कि इस पर सरकार कदम उठायेगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि उस पर क्या कर रहे हैं।

यहां पर हमारे संसद्-सदस्यों ने विभिन्न प्रकार से रिजर्वेशन के आकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं उनमें नही जाना चाहता, लेकिन उसके साथ-साथ कहना चाहता हु कि 30 साल में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि उनके रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिये जगह-जगह सघ बना दिये गये है। एक साजिश खडी हो गई है ।

यह भी कहा जा रहा है । कि जातियों के नाम से जो सरक्षण की बात है, उसको आर्थिक दृष्टि से गरीबी की दृष्टि से उस तरफ मोड दिया जाये अर्थात जो कुछ बनाया गया था, उसमे कुछ दिया नही गया और उसको भी बदलकर, डिफीट कर के दूसरी परिकल्पना कर के उसको समाप्त करने की साजिश चल रही है। उसमे सरकार के साथ न्यायालय भी साझीदार बन रहे है। इसके कारण स्थिति इस प्रकार की बन चुकी है जिससे हमे लगता है कि हमारे प्रति उद्धार के लिये जो सरकार ने आज तक घोषणाए की है और इस तरह की बाते की है वह केवल धोखा मात्र है । वास्तविकता मे इमानदारी के साथ अब तक कुछ नही किया है ।

बाडेड लेबर के अन्दर सारे देश मे गरीब लोग काम करते है । शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के सब लोग उस मे है। वह बाडेड लेबर वहा से तो दूर किया गया लेकिन हमे तो यह दिखाई देता है कि जितने राजनैतिक दल है और जितनी यह पार्लियामेंट है, इसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को बाडेड लेबर की तरह से माना जाता है और उन के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। उन को उचित स्थान देने की कोशिश नही की जाती है और अगर कोई अपनी कोशिश से, अपनी शक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तो उसके प्रति दुर्भावना पैदा की जाती है, उसे पीछे डालने की कोशिश की जाती है। उन को स्वयं खड़े नही होने दिया जाता। सारी राजनीति

[श्री शिव नारायण सरसूनिया]

में इस तरह का चक्र चल रहा है। ये जितने भी लोग, एम० एल० ए०, एम पी० बनते हैं उन का एक्सप्लायटेशन सारे राजनैतिक दल जनता करते हैं और वह बाकी जनता का करते है। यह एक विशेष चक्र बन गया है, इस को कब तोड़ा जायेगा और कब इस पर विचार किया जायगा ?

आज अन्त्योदय की बात बहुत जोर से सरकार की तरफ से उठाई जाती है और वह किया जा रहा है, अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अन्त मे यदि कोई आता है तो वह सफाई कर्मचारी आता है, जो सफाई करता है, मैला उठाता है, वह उस में आता है और वह एक स्पेशल किस्म का काम करता है, उस काम को दूसरा आदमी नही करता है। तो जब वह एक खास प्रकार का काम करता है तो उसके लिए एक खास प्रकार का वेतन क्यो नही दिया जाता ? जिस तरह से टकनिकल आदमियो के लिए विशेष प्रकार का वेतन होता है क्योंकि वह काम दूसरे नही कर सकते, इसी तरह उनको भी जो काम वह करते है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। जितने भी नगर निगम और सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए डायरेक्टिव जाना चाहिए कि इन के रहने के लिए मकान बना कर दिया जाय और इन के लिए उचित व्यवस्था की जाय। लेकिन पिछले तीस साल से उन के साथ वही बर्त्ताव कर रहे है, उनको चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता है, उन की समाजिक स्थिति को सुधारने की कही कोशिश नहीं की जाती है, वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते क्योंकि वे स्वयं जाकर सफाई करते है तो अपने बच्चे, अपनी लड़की और अपनी बहु सब को सफाई के काम में लगा देते है तब उनका गुजर होता है। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो इन का उद्धार किस तरह होगा ?

दूसरा मसला मैं उठाना चाहता हूं कि दूसरा जो गन्दा काम कहा जाता था वह था टैनिंग का काम खाल निकालना और खाल को रंगना। अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा वर्ग उस काम को करता था। आज स्थिति यह है कि उन का गला घोंट दिया गया है, उन को कोई सरक्षण नही दिया गया है। महात्मा गांधी ने बुनकरों को सरक्षण दिया लेकिन बुनकरों को जितनी सहायता मिलती है उस मे उन का एक्सप्लायटेशन होता है। बीच मे दूसरे उस पैसे को खा जाते है, यहां पर चूंकि दूसरा समाज बीच मे खा सकता था इसलिए उसको सब तरह की सुविधा दी लेकिन चमड़े के काम और चर्मकार के काम के लिए कोई सुविधा नही दी। नतीजा यह है कि आज टैनिग का काम उन के हाथ से बिल्कुल निकल गया। यह चमड़े का काम ऐसा काम है कि जो उसे शुरू करता है, जब वह तैयार होता है तब तक उस मे पचासो ऐसे मौके आते है जिसमें वह पूरी तरह बरबाद हो जाता है, कई कई परिवार उसमे बरबाद हो गये है। आज तक उन के संरक्षण के लिए कुछ नही किया गया। तो जो अन्त के लोग है, जो चर्मकार और सफाई करने वाले है, उन के लिए आज तक आप ने कोई विचार नही किया तो फिर यह किस तरह की व्यवस्था चल रही है ? किस तरह से आप समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं ?

यहा पर हमारे साथियों ने और इस के पहले भी बहुतसे लोगों ने अपने लिए अलग मंत्रालय की मांग की हैं और न्यायालय की मांग की है कि स्पेशल कोर्टस बनाए जाने चाहिए, साथ-साथ यह भी मांग की है कि आगामी तीस साल के लिए हमारा रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। मैं इसके साथ-साथ पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात रखना चाहता हूं। दो तीन अंडरटेकिंग्स का हवाला दिया गया। अभी हमारे मित्र बहुगुणा जी के बारे में और उन के विभाग इंडियन आयल का बड़ा भारी गुंजान कर रहे थे। उन्होंने

78 में रिजर्वेशन घोषित किया । लेकिन रिपोर्ट 77 से दे रहे है । 19 ए साइट में दे दिया है जब कि कहीं कोई ए साइट में नहीं दिया है । जिस दिन से रिजर्वेशन हुआ है मैं उस दिन से कम्पनी के ऐडवर्टाइजमेंट्स देखता हूं । वहां पर कम्पनी का रुपया सूख गया । ए साइट के एडवर्टीजमेंट जिसमें आते थे उसमें रिजर्वेशन नही था। और भी जो एडवर्टीजमेन्ट आते है वह बी या सी साइट के आते हैं । इस तरह से फर्टिलाजर की एजेंसीज दी जायेंगी । आप देखेंगे कि हेडिंग तो यह दी हुई है लेकिन उसमें कन्टेन्ट यह है कि अभी तक प्रोमीजर नय किया जा रहा है । इसलिए यह जो रिपार्ट है वह भी हमारे साथ एक धोखा है। हेडिंग्ज तो इस तरह की होती है लेकिन कन्टेन्ट्स कुछ और ही होते है । इस तरह से यह जो पूरा पुलिदा है, लिखा है यह 24वी रिपार्ट है लेकिन पहली रिपोर्ट में भी वही मुद्दे है। मै एक मंत्री जी से मिलने गया था, रिजर्वेशन पर बात हो रही थी, मैं ने कहा देखते हैं कब तक संरक्षण पूरा होता है, उन्होंने कहा आपको किसने इन्तजार में रखा है, मैं ने कहा हजारों साल से इन्तजार में हैं और जिनका इन्तजार टूट गया वे या तो मुसलमान हो गए या ईसाई हो गए । हम चाहते है कि इन्तजार के बने रहते इसको पूरा किया जाए । अगर पूरा नही हुआ इन्तजार टूट गया तो उस दिन कुछ और हो सकता है । हमने सब्र के साथ, आदर के साथ इन्तजार किया है वरना हम भी कुछ कर गुजरते । हम हिन्दू हैं इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं । लेकिन इसके लिए आपको भी सोचना होगा और हमारे से पहले जाग कर सोचना चाहिए वरना यहां कोई नहीं रहेगा ।

जहां तक भूमि सुधार की बात है, इसमें इतना प्रपंच है, इतना शोर है लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है । अनुसूचित जाति के लोगों को जो भूमि आवंटित की जाती है वह ऐसी भूमि होती है कि वे बेचारे अपने घर के जेवर, मकान, बर्तन बेचकर उसको बनाते रहते हैं और जब काश्त करने लायक वह जमीन बनती है तब या तो उसकी फसल काट ली जाती है या जमीन पर ही कब्जा कर लिया जाता है । उसके बाद सरकार की तरफ से निर्णय होता हैं कि यह जमीन ली जा रही है, तुम को दूसरी जमीन दी जाएगी । दिल्ली के ही एक गांव का मामला है, वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा दिया गया था ? उस पर वे काश्त कर रहे थे लेकिन अब सरकार ने उस पर एक नाला निकालने का फैसला कर लिया है । उन्होंने फर्याद की कि हमारी जमीन बचाई जाए लेकिन सरकार अड गई है, कहती है नाला यही से निकलेगा । मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की, उन्होने कहा कि यह भूमि ऐसे लोगों की है जो कोर्ट में नही जा सकते, अगर हम दूसरो की भूमि लेगे तो वे कोर्ट मे चले जायेंगे । मैंने कहा कि दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए केवल हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग ही रह गए है जिनको कत्ल किया जायेगा ? इस तरह से इनके कत्लो गारत की जो कहानी है वह खत्म नही हो रही है । हम भी जानते है, हमें भी पता है, तीर तरकश हम भी रखते थे मगर अंगूठा काटा गया है। सभी तरह के शस्त्र हम रखते थे लेकिन हमने अपने हाथ से अंगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य की कहानी पहले की तरह आज भी चरितार्थ हो रही है । हम चाहते है कि सरकार वायदा को पूरा करे ।

इस के अलावा आज हमारे साथ सबसे बड़ा कुठाराघात शिक्षा के द्वारा हो रहा है । बड़े अफसर और पैसे वालो के बेटे अच्छी पढ़ाई करते है, अच्छे स्कूलों मे जाते है । लेकिन गरीब का बच्चा, हरिजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदमी का बच्चा नगर-निगम के स्कूलों मे पढ़ता है —यह भेद क्यो है? न हम को समान शिक्षा मिल रही है और न शिक्षा के समान अवसर मिल रहे है । यदि एक ही प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय तो यह जो डिसपैरिटी चली आ रही है, उस पर अंकुश लग सकता

[श्री शिव नारायण सरसूनिया]

है। आज एक आई० ए० एस० का लड़का अफसर बनेगा, आइ० ए० एस० बनेगा, लेकिन गरीब का लड़का वही चपरासी बनेगा—यह जो व्यवस्था है यह हमारी इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा बनाई गई है। इस डिफेक्टिव तरीके को समाप्त किया जाना चाहिये।

17 hrs.

स्पेशल कोर्टस और 30 वर्षों के आरक्षण की जो मांग यहां पर रखी गई है, उस के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले 32 वर्षों की जो हमारी कहानी है और यह 24वीं रिपोर्ट सदन के सामने है—हमारे लिये आज तक क्या किया गया है—आप सब अच्छी तरह से जानते है। आप जानते है पिछली सरकार ने यहा पर एक कैपसूल गाड़ा था और यह कहा था कि हमारा आज तक का जो इतिहास रहा है—वह सब उस कैपसूल में रखा गया है। क्या उस कैपसूल मे रखा गया—मैं उस मे नही जाना चाहता, लेकिन मैं आज तमाम अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के सदस्यों का आवाहन करना चाहता हूं—आजादी के बाद पिछले तीस सालो मे हमारी क्या स्थिति रही है, हमारे लिए क्या कुछ किया गया है, इन रिपोर्टों के अन्दर क्या कहा गया है—उन सब चीजों का इकटठा कर के और एक समिति का गठन करक, उस की देख रेख मे उन सारी बातो का एक कैपसूल मे रख कर गाड़ा जाए और 50 या 100 साल क बाद देखा जाय कि उस समय हमारी क्या स्थिति थी और अब क्या है, कितनी प्रगति हुई है—हमारे लिये क्या किया गया है ....

एक माननीय सदस्य : वह कैपसूल तो खाली रहेगा, उसमे कुछ भी लिखा नही जायगा क्योंकि अब तक कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : मेरा मतलब है कि आज तक कि जो स्थिति है, वह उस कैपसूल में रखी जाय।

सभापति महोदय, बाबा साहेब डा० अम्बेदकर का चित्र यहां पर लगाने की बात कही गई है—मैं चाहता हूं कि वह चित्र शीघ्र से शीघ्र लगाया जाय, साथ ही उन के जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाय ...

एक माननीय सदस्य : 14 अप्रैल की छुट्टी हो।

श्री शिव नारायण सरसूनिया : इस के साथ ही मैं यह चाहता हू कि जो रिपोर्ट यहा पर पेश की जाती है उस रिपोर्ट के साथ-साथ जो एक्शन लिया जाता है, उस की रिपोर्ट भी सरकार यहा पर पेश करे और यह देखे कि कहा तक उन बातों पर कार्यवाही की जाती है, हमने उनकी प्रगति के लिये क्या कुछ किया है।

SHRI B. RACHAIAH (Chamarajanagar): Mr Chairman, Sir, the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are being discussed for the last two days. Many members have already participated in the discussion on these reports and have given many valuable suggestions.

Before I forget, I would like to endorse the opinion expressed by some of the members that the portrait of Dr Babasaheb Ambedkar should be hung in the Central Hall of Parliament. This urge has been there for the last so many years. I hope that at least the present Government would fulfil the desire of the Members of this House.

The second point was with regard to the extension of the reservation in Parliament, in the State Legislatures and other autonomous bodies, where the elected representatives are there. In the Rajya Sabha and the Legislative Councils, there is no proper

representation in the sense that there is no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I hope that at least the Janata Government will go a step forward to see that the reservation is extended to the Upper Houses also in proportion to the Members elected to the Lower Houses, so that justice would be done in the Upper Houses.

The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are peculiar; they are many and varied. I will not be able to cover all the aspects of their problems. I would like to highlight only a few problems for the consideration of the Government and the august House.

Nearly three decades have passed and the problems of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes have posed a challenge to the nation. This challenge is not only a challenge to the Government but it is to the entire society, not only to the Janata Party but to all the political parties, not only to political leaders but also to religious leaders. Therefore, these problems have to be tackled not with a partisan attitude or a limited or a narrow attitude but with a national attitude. It has to be tackled as a national problem, a problem which is really killing the society. It has to be remedied at an earlier stage so that the integrity, the unity and the solidarity of the country is maintained.

The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are mainly two-fold. One is with regard to the economic backwardness and the second is with regard to their social inequalities due to the caste system.

As has been pointed out, the Scheduled Castes constitute 15 per cent of the population and the Scheduled Tribes constitute 7.5 per cent of the population. In 666 taluks, the Scheduled Castes constitute about 20 per cent of the population and in 329 taluks, they constitute about 50 per cent. In 1971, 62.3 per cent and 19.8 per cent constitute the workers engaged in primary sector and secondary sector respectively.

Further, in the Report it is stated that for every thousand population, there are 518 agricultural labourers and 330 cultivators. If you look into these figures, with regard to the people below the poverty line, it is mentioned that in the urban areas, 55 per cent of the urban population is below the poverty line and 50 per cent of the people in the rural areas are below the poverty line. Most of them come from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. From these figures, we can come to a conclusion that there is an appalling poverty amongst them.

Then, the Commissioner for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in his Report, on p. 5, says:

> "The atrocities on Scheduled Castes can be traced to their poor economic conditions, indebtedness, non-payment of prescribed minimum wages to agricultural labourers, non-implementation of Land Ceiling Act and socio-economic reasons and to the effect that at times the administration has not always been vigilant to improve their conditions."

The Land Ceiling Act has been hanging on for the last 30 years. Many States have passed the Land Ceiling Act and, in some States, they have not even considered the abolition of the tenancy system. Wherever the Land Ceiling Act has come into being, the records have not been made uptodate. Therefore, whatever surplus land is available, even if they have allotted, they have not got the possession of the land. Therefore, the troubles and the atrocities on the Harijans start whenever there is a clash between the persons who own the land and the persons who have allotted the land.

Similarly, in regard to distribution of sites to site-less people, the necessary acquisition proceedings have not taken place and proper compensation has not been paid. So, the landlords

[Shri B. Rachaiah]

remove the boundary stones fixed for the sites of these people and start cultivating the land. So, this also is a cause for harassment of the Harijans there.

Again, in the case of people who are not paying minimum wages prescribed under the Minimum wages Act for agricultural labourers, if the labourers protest that they are not getting the minimum wages, then also, trouble starts and they are being persecuted and harassed. In the case of people who are serving under bondage, if they are freed from bondage but are not rehabilitated properly because they are scattered all over, then they go back to their original masters with a sense of humiliation. So this programme of rehabilitating bonded labourers has to be taken up in right earnest. Not only bonded labourers in the agricultural sector, but also people who are working in quarries, in the weaving sections, in hotel industries, domestic services etc. have to be located and freed from this kind of bondage, and this has to be started in a more vigorous way.

Then, the old-age pension has not been implemented properly in many States therefore, it has to be intensified.

Regarding starting of Finance Corporations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, some States have already started Finance Corporations for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the Centre has to give some matching grants. In some States they have not started them, and wherever the Finance Corporation has not been started, they should be asked to start these Scheduled Castes and Scheduled Tribes Corporations and they should be given free grant as share capital, and the quantity has to be increased.

Regarding allotment of distributive agencies, it has already been mentioned by some of the hon. Members, but I once again reiterate the same and say: by starting poultry, piggery, tannery, fisheries etc. and, by diversifying their profession and starting selective industries, their economic condition can be improved. Also, so far as kerosene oil and petrol are concerned, by reserving a percentage of the distributive agencies for these people particularly the educated unemployed, they can be encouraged. The Finance Corporation should make money available to them. Then I come to education of these classes.

Then, reservations, under Art. 15(4), for admissions has not been implemented in private colleges, both technical and non-technical. The Commission has specially mentioned about the non-reservation in the Aligarh-Muslim University. Under Articles 29 and 30, certain protection is given to minority institutions because they are minorities in the country and have to be protected. I appeal to these minority institutions to see that these less fortunate brothers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes also get their due share in these private colleges and minority colleges. Then alone they can claim special protection. Otherwise, they will not be doing justice to the less fortunate brethren.

The private pilot licence courses are not given recognition for availing the post-matriculate scholarships. Therefore, private pilot licence courses have to be included under post-matriculate scholarships.

The Commissioner has also mentioned about the shortage of hostels, particularly for the girls studying in the secondary schools, he wants that more and more facilities have to be provided for accommodating the girl students to facilitate their higher education.

In the Fifth Five-Year Plan, a sum of about Rs. 5 crores, which was meant for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes,

has not been spent and has been allowed to lapse, mostly because the Director-General of Social Welfare for Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not take initiative and also it has been mentioned that special provisions under the other sectors were not made available. Therefore, more money could not be spent on the economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Whatever money was provided for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, nearly 80 per cent of that was spent on education and only ten per cent was spent on economic development. Therefore, the Minister has appointed a Task Force, and they have prepared a brochure or a report. This report is only an interim one. After the final report is received, I hope the Minister will place it before Parliament and will get the opinion of the Members. The interim report is good. The task which has been set there has to be implemented with the cooperation of the officers concerned.

While mentioning about admission to various schools, I am reminded of the award of pre-matriculate scholarships to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys and girls from the States' sector; not all the boys and girls are getting these scholarships or stipend. Therefore, there is need for increasing this amount under this sector. Every boy/girl who goes to the school should be able to get one concession or another. But I feel that the State Governments are not in a position to give them. Many of the ashram schools, particularly, have been doing good work. If such facilities are available to private institutions, naturally we will have more intake in those institutions.

Most of the Members have mentioned that every student should be able to get the post-matriculate scholarship without any monetary restriction on the income of the parents and also without any restriction on the number of students coming from a family. These two restrictions act as a clog on the progress of these students, on the Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys and girls getting higher education. When you are spending large amounts of money in other fields, we want this scholarship to be given for at least five years without any monetary restriction on the income of the parents and also without any instriction on the number of students coming from a family. After all, when you are introducing family planning, it will take some time for the efforts to materialise. Therefore, the parents should not be penalised by imposing such a restriction.

With regard to award of national overseas scholarships, they were not able to utilise 10 sanctions and they have allowed them to lapse. Only 21 scholarships were made available and out of that, one for Neo-Budhists and 10 scholarships for Scheduled Castes etc. were sanctioned. Therefore, I want that for these national overseas scholarships once the qualifications have been fixed and if qualified candidates are available, whoever applies for these scholarships, should be able to get them.

Similarly, in Medical Colleges, the Post-graduate Colleges, the Armed Forces Medical College at Poone and in the Institutes of Technology the reservation has not been made upto 15 per cent. In the Institutes of Technology only 5 seats are allotted. Therefore, this quota has to be increased and for getting these seats, they should start coaching classes to enable Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates to take the pre-examination and pass it and get into these institutions.

With regard to reservation in services, there are political reservation and service reservation. In all the government offices reservation upto 15 and 7 1/2 per cent has been made but in certain cases, namely, in the Universities, though the government has issued a direction that in the initial stage while taking lecturers, they should make reservations, still the Universities

[Shri B. Racheriah]

have not cared to implement this direction by amending the University Act. After all, once a body is declared as an autonomous body, they are not above the constitutional safeguards and they must go according to the law of the country and fall in line with that.

Similarly, with regard to public undertakings and nationalised banks, reservation has been made. But in the Banking Services Commission, there was a promise made by the government that there will be a member from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now that they have appointed Regional Boards, I wish to know whether any Scheduled Caste or Scheduled Tribe members are there in these Boards so that the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are protected.

Similarly, in the case of Judicial Services, a mention has been already made by Mr. Paswan. I would like to add on the ground that the Judiciary and particularly, the High Court and the Supreme Court do not come under the State, they have taken the plea that they are not subordinate to any government. Under Art. 12 of the Constitution, the Judiciary either at the State level or at the national level fall under the definition 'the State' and they come under Art. 335 itself and if any section of the people have not been properly represented in any services, then it is open for them to appoint qualified candidates to the Bench in the High Court and also in the Supreme Court. This has been really not done and only two High Court Judges are there and only one District Judge is there. There is no dearth of qualified candidates in the country. Therefore, I want in the judicial services also this reservation should be made. If there is no reservation, at least they should take note of the feelings of the members of this august House and also the feelings of the country and Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates have to be appointed.

I want to touch only one point with regard to abolition of untouchability. Untouchability has been abolished under Art. 17 of the Constitution and this has been replaced by the Protection of Civil Rights Act, 1976. Provision has been made for stringent punishment to those who commit offences under the Act. But this alone will not help us in combating this problem. This problem, as I said earlier, is a problem which is not only concerned with the government or the Opposition Parties or the political Parties but it concerns with the entire society. If 15 per cent of the population adopt a family each from the Scheduled Castes, this problem can be solved. The Government has not yet framed the rules under Article 15A of the Protection of Civil Right Act. This problem right from Budha, Shankracharay and others has been tackled but every reformer came and preached and ultimately left behind some community or sub-community. So, I do not think we will be able to remove this caste consideration. Even Constitution has not removed it because in the constitution equal respect to every religion has been assured. Therefore, I would urge upon the government to see that the scheduled castes and scheduled tribes who want to live an honourable life are given enough opportunities in all walks of life so that they may not lag behind. The trouble in the socio-economic programmes which have been started recently have created some tensions in vested interests. They say under Article 35 of the Constitution the claims of the scheduled castes and scheduled tribes shall be considered on the basis of the efficiency of the administration. Under this proviso they are trying to reject the qualified scheduled castes and scheduled tribes candidates. In respect of promotional quota the confidential records of these candidates are spoiled to deny them the promotional opportunities. Sir, efficiency can be a matter of degree and the society has to give due share to every section of the society.

Scheduled cast problem is not merely an economic problem but a social problem arising out of the caste distinction. This society consists of many religions and castes and, as such, is not free from bias idea. I wish there should be monitoring cells both at the Central and State level as to see in how many cases reservatios have not been implemented, promotions denied and de-reservation effected. We have a parliamentary committee on the welfare of scheduled castes and scheduled tribes but these monitoring cells both at the Central and State levels can better look after. Some friends have asked for a separate Ministry for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. I think the present Home Ministry can very well serve the purpose if there is heart to do the job. Earlier reservation quotas have not been implemented because of absence of sympathy at heart. I wish during the period of Mr. Mandal it will be implemented. Our present Prime Minister is a Gandhian and is preaching the introduction of prohibition. I am also one of those who has been preaching prohibition for the last 30 years and udergone so many difficulties. Therefore, I want prohibition to be introduced and scheduled castes and scheduled tribes addicts to be made free from these clutches.

I once again thank the Chair for having given me so much time. Thank you.

श्री राम कंवर बेरवा (टोंक) : सभापति महोदय, इस सदन में अनुसूचित जाति और जन-जाति के आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो रही है । इस प्रकार की रिपोर्टों पर मैं पिछले 8 साल से बहस सुनता आ रहा हूं । मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब जब भी अनुसूचित जातियों के मामले पर सदन में चर्चा होती है तो चाहे आपोजीशन पार्टी के मेम्बर हों चाहे रूलिंग पार्टी के मेम्बर हों, उन लोगों की कोई रुचि नहीं रहती है जब कि वे अनुसूचित जातियों के वोटों से ही चुन कर आते हैं । मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस रिपोर्ट पर बहस के समय प्रधान मंत्री या अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्री उपस्थित नहीं हैं, वे अगर उपस्थित होते और इस चर्चा को सुनते तो हमें विशेष खुशी होती मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि इन अनुसूचित जातियों के मसलों को सरकार चाहे वह कोई भी हो, बड़े हल्के फुल्के ढंग से लेती है और जब चुनाव लड़ना होता हैं जो वो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है वह अनुसूचित जातियों के लिए आसमान के तारे तोड़ कर जमीन पर लाने जैसी बात करता है, लेकिन जब वह सत्तारूढ़ हो जाता है, उसके पश्चात् वह अनुसूचित जातियों के विकास को उतना ही छूता है जितना उसको राज चलाने में आवश्यकता पड़ती है । मुझे बड़ा खेद है कि गांवों में जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, तीस साल के शासन के बाद भी आज उनको सार्वजनिक सम्मान नहीं मिल रहा है । गांवों में उनको किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता नहीं है, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन अगर मैं नहीं कहता हूं तो जिन लोगों ने मुझे चुना है उनके ऊपर कुठाराघात होता है, इन दो सालों के जनता पार्टी के शासन में हरिजनों का मनोबल गिरता जा रहा है । शादी ब्याह के अवसरों पर भी जहां कहीं भी वे बाजे ले जाते हैं या दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर जाता है वहां उनको गांव वाले रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो इन्दिरा जी का शासन था वह तुम्हारे साथ वफादार थीं, और वह बात अब नहीं चलेगी । अगर हम संसद् सदस्य भी किसी प्रकार का लेटर लिखते हैं तो उस पर भी कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती है, बल्कि अधिकारी यह देखता है कि उस वक्त यदि कोई अनुसूचित जाति का चुना हुआ प्रतिनिधि पहुंच जाय तो विशेषकर वह यह कोशिश करता है कि आपस

[श्री राम कँवर बेरवा]

में समझौता करा दे, बजाय कड़ी कार्यवाही करने के वह समझौता कराने की कोशिश करता है। इस प्रकार की वर्तमान स्थिति चल रही है और हमे बड़ा खेद है कि वे लोग दिन प्रति दिन जनता पार्टी से उदास होते जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा जी को पावर में लाने की उनकी कतई इच्छा नही है लेकिन जनता पार्टी का शासन होते हुये भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वे बडे रुष्ट है। मुझे इस सदन में सच्ची बात कहने मे कोई हिचक नही है, यहां प्रधान मंत्री जी से मिलना तो मेरे लिए बहुत आसान है लेकिन यहां के और मंत्री हों या प्रदेश के मंत्री हों उनसे मिलना कठिन है। पिछली सरकार में मैं विरोधी दल मे था, तब भी कांग्रेस के मंत्री कहते थे मुझसे कि कोई आपका काम हो तो बतायें लेकिन जनता पार्टी के मंत्रियों का तो रवैया यह है कि वे राम राम भी करना पसन्द नहीं करते। वे यह समझते हैं कि अगर इनको नमस्ते करेंगे और प्रेम से बोलेंगे तो पता नहीं कितना काम हम सें करने को कहेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के जो मंत्री लोग हैं वे अफसरों के हाथ में इतना ज्यादा न खेलें। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हरिजनों को रहना पड़े वे रह सकते हैं और ऐसे ईमानदार एम० पी० और विधायकों की भी कमी नहीं है कि जो उनकी समस्या को सामने जरूर लायेंगे और जिस जनता ने उनको चुना है उनके वे अवश्य विश्वासपात्र रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाय।

दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी के शासन में नौकरियों में जो भरती की जाती है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को अयोग्य कहकर फेल कर दिया जाता है। अफसर कहते हैं कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे नम्बर अच्छे नहीं थे और तुम इन्टरव्यू में फेल हो गये। अफसर जो हैं वे सोचते है पता नही जनता पार्टी रहेगी या नही, हम तो कानूनी कार्यवाही जैसी भी होगी करेंगे। वे कानून का केवल दिखावा करके मनमानी करते है। अगर कोई पैसा दे देता है तो उसको भर्ती कर लेते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध मे पूरी देख-रेख होनी चाहिये।

मैंने अपने साथी गवई जी के भाषण को अच्छी तरह से सुना है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि वे अपनी लड़की की शादी, अगर कोई ब्राह्मण का लड़का तैयार हो इ उसके साथ करने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं अपने अनुसूचित जाति के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में भूतपूर्व मंत्री इमरतीलाल जी जाटव, जिन्होंने दलित वर्ग संघ के नाम पर केन्द्र से बाबू जगजीवनराम जी की छत्रछाया में लाखों रुपये लिए, जब उनकी लड़की पढ़-लिखकर तैयार हो गई तो एक ब्राह्मण के लड़के से शादी की, शादी में लाखों रुपए का खर्च किया, माल को उन्होंने खूब

किया लेकिन लड़की को छुटकारा दे दिया और इस तरह से उस लड़की का भविष्य खराब हो गया । इसलिए मैं तो इस विचार का हूं कि अगर हमारा चरित्र ठीक रहेगा, हमारे कर्म ठीक रहेंगे तो हम ब्राह्मण से भी ऊपर रह सकते हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं है । यह जो देखा देखी वाली बात है इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं ।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में 8-10 महीने पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए जिसमें कई हरिजन भी सरपंच के लिए उम्मीदवार खडे हुये । इस पर सवर्ण जातियों की ओर से यह प्रचार चलाया गया क्या सभी जातियां मर गई हैं जो चमार और खटिक सरपंच बनाये जायेंगे । जो लोग हमेशा सरपंच बनते आ रहे थे उनमें से उम्मीदवार खड़े होने पर सवर्ण वोटों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और कोई भी हरिजन को वोट देने के लिए तैयार नहीं था । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना चाहिये । अभी इसकी बड़ी आवश्यकता है । अभी भी गांवों में हालत यह है कि कोई भी पुलिस का सिपाही या पटवारी आ जाएगा तो उसको बैठने के लिए चरपाई दी जाती है लेकिन अगर कोई अनुचित जाति का लोकसभा सदस्य चला जाए तो उसको खाट पर भी बिठाने के लिए तैयार नहीं है । इस प्रकार का जो भावना है उसको देखते हुये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन आगे बढ़ाया जाना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों में हर एक प्रदेश में अलग अलग जातियां हैं जैसा कि पासवान जी ने बिहार में पासवान का जिक्र किया लेकिन राजस्थान में यह नहीं है । इसी तरह से बेरवा जाति बिहार में नहीं है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी प्रदेश, राज्य या जिले का रहने वाला हो उसको सरकारी सूची में हर एक प्रान्त में मान्यता देनी चाहिये । पहले एक जिले में एक जाति होती थी तो दूसरे जिले में उसको नहीं माना जाता था लेकिन पिछली सरकार ने दूसरे जिले में उसको सरकारी सूची में मान्यता दे दी थी थोड़ा सा काम जो उसने छोड़ दिया था, मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार उसको पूरा करदे ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को अपना भविष्य कुछ अच्छा नजर आने लगे ।

आज पार्लियामेंट में भी हर एक बात मे हमारे साथ भेदभाव बरता जाता है । जो अनुसूचित जातियों के लोग है या दूसरे लोग है—अगर वे सरकार के खिलाफ थोड़ी सी आवाज निकालते हैं तो सरकार उनको थोड़ा-सा टुकड़ा डाल कर खुश करने की कोशिश करती है । लेकिन मैं निश्चय और विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों की भी हमारे भारत मे कमी नही है—उनको चाहे जितना भी प्रलोभन दिया जाय, वे अपनी सच्चाई से कभी नहीं हटेंगे । मैं खेद प्रकट करते हुये इस बात को कहना चाहता हूं कि जो लोग कमेटियों या मंत्री पदों पर लिए जायें उनमें सब तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, लेकिन आज इस दिशा में पक्षपात बरता जा रहा है ।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में या हमारी जनता सरकार के समय में जिन अनुसूचित जातियों के लोगों को जमीनें आवास या खेती के लिए एलाट की गई थीं, उन पर कचहरियों में लम्बे अर्से से मुकदमें चल रहे हैं । मैं सरकार से मांग

[श्री राम कंवर बेरवा]

करता हूं कि उन पर से तमाम केसेज को उठा लिया जाय और उन को उन भूमियों पर कब्जा दिया जाय, ताकि वे स्वतन्त्र रूप से उन जमीनों पर काम कर सकें, अनाज पैदा करके अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। अखबारों में प्रधान मंत्री जी या राज्यों के मुख्य मंत्रियों के स्टेटमेंट्स आते हैं कि जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं, चाहे वे किसी भी रूप में दी गई हों, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम लोग जब अपने क्षेत्र मे जाते हैं तो उनकी हालत को देखते है। वे लोग बहुत रोते हैं, उनको हमेशा कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते है लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नही है। मै चाहता हूं कि ऐसे तमाम केसेज को वापस लिया जाय, साथ ही सरकार अपने खर्चे पर उनके लिए वकील लगा कर उन मुकदमों की पैरवी करे, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नही पड़ना चाहिये।

एक बात मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के जो लड़के पढ़-लिख कर तैयार होते है—पढ़ने-लिखने से ही उनका उद्धार नही हो सकता है। शारीरिक मेहनत करके ही वे अपना भरण-पोषण कर सकते हैं। आज हमारे जो लोग बिल्डिंग में काम करते हैं—उनको उनके परिश्रम का पूरा पैसा नहीं मिलता है। यहां तक कि देखने में यह आया है—काम करते हुये यदि मजदूर तीसरी या चौथी मंजिल से गिर कर मर जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसकी पत्नी या उसके बच्चों को वापस राजस्थान जाने तक का खर्चा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से केसेज मेरे सामने आते हैं, मैंने इस सम्बन्ध में काफी लिखा-पढ़ी भी की है—लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि जिन ठेकेदारों को सरकार कान्ट्रैक्ट देती है उस कान्ट्रैक्ट में इस तरह की कानूनी व्यवस्था होनी चाहिये कि काम करने के दौरान यदि कोई मजदूर मर जाएगा तो ठेकेदार इतने परसेन्ट मुआवजा देगा और सरकार इतने परसेन्ट मुआवजा देगी। इस तरह की कानूनी व्यवस्था उसमें होनी चाहिये।

श्री मरसूनिया जी ने अभी बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की फोटो सेन्ट्रल हाल में लगाने की बात कही है—मै भी उसका समर्थन करता हूं।

आखरी बात मै यह कहना चाहता हूं—जो लोग रिजर्व्ड सीटों से चुनकर आते है—उनकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज नई रेलवे लाइनें कहां डाली जा रही है—लोग, जिनकी बहुत पहुंच ज्यादा है, अपने अपने क्षेत्रों का विकास करा रहे हैं, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों की तरफ सरकार का ध्यान नही है। मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां से शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग चुन कर आते है—उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, उन क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिये, ताकि उन प्रतिनिधियों की अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा बन सके और उन क्षेत्रों का विकास हो सके। मैं सैकन्ड टाइम चुन कर आया हूं और मैंने अपने यहां 20 मील के छोटे से टुकड़े को जिला हेडक्वार्टर से रेल द्वारा जोड़ने के लिए बराबर मांग की है और करता आ रहा हूं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधि यहां पर चुन कर आते हैं और पिछड़े क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, उनकी बातों को ज्यादा

से ज्यादा सुनकर उन क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, ताकि वहां की जनता सन्तुष्ट हो सके ।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री नन्दी यल्लैया (सिद्दिपेट) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कमिश्नर की रिपोर्टों पर कई सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किया है ।

देखने से यह मालूम होता है कि भारत की 30 साल की आजादी के बाद, हम एक ऐसे वर्ग के बारे में जो रिपोर्ट है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो सदियों से इस समाज के अन्दर दबा हुआ है । आज हम उस वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी उन्नति के लिए, जिसकी तरक्की के लिए डा० अम्बेडकर ने अपने निजी जीवन में काफी काम किया था लेकिन इसके बावजूद भी इस समाज में उसकी ऐसी दुर्गति, उस पर ऐसे अत्याचार देखने को मिलते हैं, जिन के बारे में सभी लोग दुखी हैं । जनता सरकार के बन जाने के बाद और श्री मोरारजी देसाई को प्रधान मंत्री के रूप में देखने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर चाहे वह कोई भी राज्य हो, उत्तर में कोई भी इलाका हो, वहां पर ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें हम को देखने को मिलती हैं पढ़ने को मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि हरिजनों के ऊपर कई किस्म के, कई प्रकार के अत्याचार आज भी होते हैं । अखबारों को देखने के बाद और दूसरी सारी चीजें देखने के बाद, मैं ऐसा समझता हूं कि इस जाति की उन्नति के लिए मौजूदा समाज के अन्दर शिक्षा का होना बहुत जरूरी है । हम जो भी इनको शिक्षा दें, वह सही तरीके से दें । और हम अपने बच्चों को, हरिजन कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, तो इस समाज के अन्दर उनके उन्नति करने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता है लेकिन आज हम हरिजनों की परिस्थिति क्या देखते हैं । इन्दिरा सरकार, इन्दिरा गांधी की सरकार ने जो हिन्दुस्तान में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था और गांवों के अन्दर यह व्यवस्था की थी कि भूस्वामियों के पास जो जमीन थी, वे उस के मालिक रहते थे और उस जमाने में हरिजनों की यह परिस्थिति थी कि उन में इतना डर था, उन के मन में इतना भय था कि उनमें उन के सामने-सामने जाने की शक्ति नहीं थी लेकिन हमने यह देखा कि इमर्जेंसी के दिनों में जो जमीन की तक्सीम करने का सवाल आया या कर्जा देने का जो सवाल आया, उस से हरिजनों में काफी जागृति आई और आज भी काफी लोग वहां पर इन्दिरा जी को याद करते हैं । 30 साल की आजादी में जो काम नहीं हुआ था, वह इमर्जेन्सी के अन्दर हुआ कि जो गांवों के अन्दर रिक्शा लाने वाले थे या गांवों में इस किस्म के कई लोग थे, उन में कुछ सुधार आया और समाज के अन्दर एक भारी परिवर्तन आया लेकिन आज के जमाने में हम यह देख रहे हैं कि हरिजनों की जो स्थिति है, वह नहीं सुधरी है । बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के उनकी उन्नति नहीं हो सकती लेकिन केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह भी नहीं हुआ है कि 10वीं क्लास तक , मेट्रीकुलेशन तक, कम्पलसरी शिक्षा की व्यवस्था करती । इस तरीके के की बात केन्द्रीय सरकार ने कोई नहीं की है और जब ऐसी बात है तो उन के तरक्की करने के इम्कानात हमें नहीं दिखाई देते हैं ।

दूसरी बात यह है कि आज समाज के अन्दर चाहे कोई भी हो, चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह गिरीजन हो, चाहे वह बैकवर्ड क्लासेज का हो, इस हिन्दू समाज के अन्दर भिन्न प्रकार की कम्युनिटीज हम को देखने को मिलती हैं । लेकिन आज जो तमिलनाडू के अन्दर चमड़े का काम करने वाले कर्मचारी हैं, टेनरीज के अन्दर काम करते हैं,

[श्री नन्दा मल्लैया]

और देश के लिए काफ़ी फोरन एक्सचैंज कमाते हैं, अमेरिकन डालर कमा कर देते हैं, उन में हम देखते हैं हरिजनों की मेजोरिटी है, शैड्यूल्ड कास्ट्स की मेजोरिटी है। आज वे किस परिस्थिति में हैं? वे लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, गन्दगी में रहते हैं। उनको खाने को नहीं मिलता है। जो लोग करखाना चलाते हैं, जो लोग मालिक हैं, उन्हें देखिये वे किस तरह से रहते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, कैसा उनका रहन-सहन है। क्यों नहीं आप टैनरीज में काम करने वाले लोगो की परिस्थति में आर्थिक सुधार लाते हैं? क्यों नहीं आप उन्हें उन्नत करते है? आप सरकार की ओर से, इंडस्ट्रीज की ओर से कोई ऐसी स्कीम्स निकालें जिनसे उनकी आर्थिक प्रगति हो, उनकी तरक्की हो।

जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कितने ही कमीशन बिठाइये, कुछ नहीं होने वाला है। कमीशनों की रिपोर्ट आती रहेंगी, कलेक्टर से रिपोर्ट आती रहेंगी उन रिपोर्ट्स पर पार्टीबाजी के आधार पर कुछ फारमूले पेश किये जाते रहें हैं। यह काम करने का एक फारमल तरीका होता है। हमें देखना चाहिए कि पोलिटिकल पार्टीज अपने भाषणों में चुनावों में जो कुछ कह कर आती है उन पर हम अमल करें। हमें हरिजनों की तरक्की के लिये कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें कोई ठोस काम या कोई ऐसा निर्माण कार्यक्रम हमें हरिजनों के लिए देखने को नहीं मिलता है। इस के लिए जिम्मेदार कौन है?

डा० अम्बेदकर ने अपने जीवन में क्या नहीं किया? उस पर हिन्दू समाज के द्वारा अत्याचार किये गये। उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से हम में जोश पैदा होता है। उन्होंने किस परिस्थिति में अपने को ऊपर उठाया था। उन अत्याचारों के बीच अपने को खड़ा किया था। डा० अम्बेदकर ने हमारे इस संविधान का ढांचा तैयार किया। आज हमें गर्व है कि शैड्यूल कास्ट्स कम्युनिटी के एक आदमी ने भारत के संविधान को बनाया। लेकिन आज हम देश की क्या परिस्थिति देखते हैं? हम अगर गांवों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो अधिक काम करने वाले हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता है। आप देखिये सफाई कर्मचारी को, शू मेकर्स को, रिक्शा चलाने वाले को, टेनरीज में काम करने वाले को जो काम वे लोग करते हैं उसे दूसरी कम्युनिटीज के लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी हैं। आप बताइये कि उनकी कौनसी तरक्की हुई है। आज हम होटलों मे, बाजार में, समाज में लोगों को सफेद, टेरीकोट के कपड़े पहने हुए देखते हैं। लेकिन उन लोगो के पास शरीर छिपाने के लिए कपड़ा नहीं है। आप उन्हें देखिये कि वे किस लोकेलिटी मे रहते हैं, कैसे घर मे रहते हैं कौनसी गिजा खाते है? सोने के लिए उनके पास पलंग नहीं है। हमारी सरकार को इन सब चीजों को देखना चाहिए। बहुत से लोग महलो में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन वे लोग किस प्रकार से रहते हैं? उनकी कितनी आमदनी है? उनकी जितनी आमदनी है क्या उससे उनके घर का परिवार का खर्च चलाया जा सकता है? यह चीज हमें देखनी चाहिए।

हमें देखना चाहिए कि वे किस प्रकार के मकानों में रहते हैं? वे लोग वहां रहते हैं जहां गंदा नाला बहता है। वहीं उनका पूरा परिवार रहता है। अगर हम इन लोगों को वहां से नहीं निकालेंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर यह रिजर्वेशन किस लिए है? क्या यह रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए है कि हम रिजर्व्ड सीट से यहां चुन कर आ जाएं और उनके लिए बोल दें? अभी मराठवाड़ा के एक एम० पी० ने कहा कि आज भी औरंगाबाद में पानी इन लोगों को नहीं मिलता है, दूसरे उच्च जाति के लोगों की अब तक

मेहरबानी नहीं होती है इसको जल नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में क्या यह समझते हैं कि रिजर्वेशन भी इनके लिए नहीं रखना चाहिए ?

समाज में कौन सी कम्युनिटी इन पर जुल्म और अत्याचार करती है, कौन लोग हैं जो बत्ती सुलगाते हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। सरकार की ओर से हर कदम उठाया जाना चाहिये ताकि इन पर इस तरह के जुल्म बन्द हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत की आजादी को ही खतरा पैदा हो जायेगा। आज भी हिन्दू समाज में हरिजनों के साथ न्याय नही हुआ है। तीस साल हो गए हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। कमेटियां बैठी हैं, कमिशन बैठे हैं और उनकी रिपोर्ट आई हैं, भाषण भी बहुत हुए हैं लेकिन इस सब के बावजूद इनके जो मसले हैं वे हल नही हुए हैं। इसके कारणों का आपको पता लगाना चाहिये और उनको दूर करना चाहिये और देखना चाहिये कि इनके मसले हल हों।

18 00 hrs.

श्री दुर्गा चन्द (कांगड़ा) : एक बड़े गम्भीर विषय पर हम विचार कर रहे है। कमिशनर की जो रिपोर्ट्स हैं उन पर हम गोर कर रहे हैं। हमारी 1200 साल की गुलामी का जहां तक मैं समझ पाया हूं सब से बड़ा कारण यह था कि हम वीर होते हुए भी, हमारी परम्पराएं और हमारी संस्कृति महान होते हुए भी चूंकि हम जातपात में बंटे हुए थे और संकट के समय हम एक नहीं हो सके, इसलिए हम गुलाम रहे। हमारे धार्मिक नेताओं ने वर्णाश्रम की जब व्यवस्था की तब यह सोचा होगा कि प्रोफैशनल डिविजन कर दिया जाए, कुछ आदमियों को कुछ काम और कुछ को दूसरा काम सौंप दिया जाए ताकि सब अपने अपने कामों को ठीक प्रकार से कर सकें लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिन की वजह से ये जो जातियां थीं वे आपस में दूर होती चली गई और फिर भी एक नहीं हो सकीं, इकट्ठी नहीं हो सकीं। एक वर्ग की और खास तौर पर हरिजन भाइयों की हालत तो इतनी बदतर होती चली गई कि वह हिन्दू जाति की जो मेन स्ट्रीम थी उससे बिल्कुल कटती चली गई। बाद में कोशिशें भी हुई लेकिन इन भाइयों का उद्धार नहीं हो सका। जब तक इनका उद्धार नहीं होता है हमारी कौम में जिन्दगी नहीं आ सकती है जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे नेताओं ने एक यह आबजैक्टिव भी रखा था कि आजाद होने के बाद छूआछूत हमारे देश में नहीं रहेगा, छोटे बड़े की कोई बात नहीं होगी। आजादी के बाद तीस साल कोशिशें करने के बावजूद भी हम अपने इस आबजैक्टिव को प्राप्त नहीं कर सके है। लोक सभा में कोई दिन नहीं बीतता होगा जब कोई एडजर्नमेंट मोशन न आता हो या प्वांइट आफ आर्डर रेज न होता हो हरिजनों पर हो रही ज्यादतियों को ले कर। विधान बनाने वालों ने इस का विचार किया था और उनका ख्याल था कि इनको ऊंचा उठाने का एक ही तरीका है और वह यह है कि इनको सर्विसिस में रिजर्वेशन दिया जाए। इनको उन्नत करने के लिये ज्यादा फंड्स मुहैया किये जायें ताकि उस लेविल पर यह लोग आ सकें जिस पर सोसाइटी के दूसरे वर्ग हैं। 30 साल बाकायदा यह प्रयत्न हुए, चाहे कांग्रेस सरकार थी चाहे जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन हमें महसूस करना चाहिये कि आज भी वही आवाज उठती है कि हरिजनों के लिये कुछ नही हुआ, हरिजन भाई कराहते हैं, अपनी तकलीफें ब्यान करते हैं, उनको जमीन नहीं मिली, मकान नहीं मिला, नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिला, आज भी कहीं कहीं अनटचेबिलिटी है। लेकिन इन बातो का हमें अहसास करना चाहिये कि हमारे प्रयत्न किस हद तक सफल हुए। करोड़ों रुपया हमने खर्च किया इसलिये कि इन भाइयों को ऊपर उठाया जाय, उनके लिये मकान बनाये। लेकिन 30 साल बाद देखना चाहिये कि जो फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगाये या भारत सरकार ने लगाये या समिति लेबिल पर पैसे लगे हैं उनसे कितने

[श्री दुर्गा चन्द]

हरिजनों के मकान बने हैं। कभी इस बात का एवैल्यूएशन हुआ ? कितने भाई अभी तक बे मकान हैं ? क्यों ऐसी बात है कि जब हम नेशनल लेविल पर सोच चुके है और सारी कौम इसके लिये कुरबानी करने के लिये तैयार है कि अपने भाइयों को उठाने के लिये स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाय, उसके लिये लोग टैक्स देने के लिये तैयार है, कौम ने कभी शिकायत नहीं की पैसा न दिया जाय, सारा मुल्क इस बात में एक है। फिर भी अगर 30 साल बाद ऐसे रिजल्ट्स न निकलें तो कौन सी कमी है ? आज भी हरिजनों को जिस तरह सोसाइटी में मिक्स होना चाहिये वैसे नहीं हो सके। इसका कारण क्या है ? जो बेसिक बातें होनी चाहिये वह हमने नहीं की। आज शहरों से अन्दाजा हर बात का नहीं लगाना चाहिये। देश देहातों में फैला हुआ है। देहातों में कभी यह विचार किया गया कि गांव के लोग जो मुख्तलिफ जातियों में बटे हुए हैं वह आपस में मिक्स हो गये हैं, दूर तो नहीं हैं अपने आपको एक जाति का और एक धर्म का हिस्सा मानने लगे हैं कि नहीं ? लेकिन वह एहसास अभी तक नहीं हुआ क्योंकि हमने यह नहीं सोचा पुराने जमाने से यह चला आया है कि ब्राह्मणों के घर, क्षत्रियों के और हरिजनों के घर अलग अलग हों और वह कभी भी इकट्ठा न हों, तफजीबी तरीके पर भी। तो हमें प्लानिंग ऐसी करनी चाहिये थी कि एक ब्लाक में एक साल में एक माडल विलेज तैयार हो जाता जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता जहां ब्राह्मण, राजपूत, हरिजन एक ही गांव में होते और उनके आपस में ताल्लुकात इकट्ठे चलते। तब जा कर के यह चीजें खत्म हो सकती थीं। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा।

आज हम कहते हैं कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन किया है उनको नौकरियां मिलनी चाहियें। और वह बड़े बड़े ओहदों पर चले गये हैं। लेकिन मेरे गांव के हरिजन भाई जो 8, 10 साल से मैट्रिक पास किये हुए हैं, ट्रेनिंग भी लिये हुए हैं टाइपिंग वगैरह की, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। कौन ले जाते हैं उस रिजर्वेशन का फ़ायदा ? हरिजनों में भी एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो राहत मिलती है, हरिजनों को जो फंड्स प्रोवाइड किये जाते है उसको वह खुद ले लेते है और नीचे जो हरिजन हैं उन तक वह पहुंचते ही नहीं। न नौकरी मिलती है, न मकान मिलता है. न जमीन मिलती है, और न उनकी हालत अच्छी होती हैं। इसके मुताल्लिक भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। हम यह नहीं कहते कि रिजर्वेशन खत्म किया जाय। लेकिन रिजर्वेशन के जो फ़ायदे है वह नीचे तक हरिजनों को भी पहुंचने चाहियें। वह महसूस करे कि सरकार हमें कुछ देने के लिये तैयार है। मैं भारत सरकार से यह कहना चाहूंगा कि उन हरिजनों के लिये, जो गांव में पड़े हुए है, जिनको रिजर्वेशन और स्पेशल ट्रीटमैंट से फायदा नहीं पहुंचा है, उनके लिये तेजी से काम करें ताकि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वह महसूस करे कि हम भी सोसाइटी के अंग है और हम भी आगे इस तरीके से अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश के मुताल्लिक मैं खास जिक्र करना चाहूंगा कि वहां कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज है जिनको अभी भी ट्राइबल एरिया में शुमार नहीं किया जाता है। 1949 में जब हिमाचल प्रदेश बना था, उस वक्त जो एसेसमैन्ट की गई थी कि कौन-कौन से एरियाज को ट्राइबल एरिया माना जाये, उसके मुताबिक जो बन गये वह तो बन गये लेकिन कई इलाके ऐसे छोड़ दिये गये है जहां कि ट्राइब्ज के लोग रहते है, लेकिन उनको ट्राइबल एरिया में शुमार नहीं किया जाता है। वह लोग 18 हजार फिट से 28 हजार फिट की ऊंचाई पर बर्फानी पहाड़ियों में अपनी जिन्दगी बसर करते है लेकिन वह आज तक ट्राइबल एरियाज में नहीं शामिल किये गये जैसे कोटी कोहड़, कोठी खाड़ और इलाका चौहाड़ और कुछ इलाके सिरमौर जिले के भी है। मण्डी डिस्ट्रिक्ट और

कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पसमान्दा लोगों की जिन्दगी बसर करते हैं । उनका ट्राइबल करैक्टर है, ट्रेडीशन्स ट्राइबल हैं और ट्राइबल्स की जिन्दगी बसर करते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल्स का ट्रीटमैंट नहीं मिल सका ।

मैं कमिश्नर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज से निवेदन करूंगा कि और भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि फिर इसका एसेस्मैंट किया जाना चाहिये और जो इलाके लैफ्ट-आउट हो गये हैं उनको भी ट्राइबल एरियाज में शामिल करना चाहिये । कई जातियां ऐसी हैं जहां भेदभाव किया गया है और आज तक वह दूर नहीं हो सका है । हमने आवाज उठाई हमारे संसद्-सदस्य श्री गंगा सिंह और श्री रंजीत सिंह ने बातें कहीं, लेकिन आज तक उन पर कुछ नहीं हो सका । वहां के जो गूजर मुसलमान हैं, जो कि पुराने हिमाचल के ट्राइब्ज के हैं, लेकिन नये इलाके हिमाचल में मिलने से जो इस तरह के लोग हिमाचल के साथ जुड़े, वह गूजर आज तक ट्राइब्ज में नहीं माने गये और उनको कोई फायदा इसका नहीं मिल सका ।

1 नवम्बर, 1966 में रि-आर्गेनाइजेशन हुआ और पंजाब के कुछ इलाके हिमाचल में आये और एक नया हिमाचल बना । पुराने हिमाचल के गूजर तो ट्राइब्ज में मने गये लेकिन नये हिमाचल के गूजरों को ट्राइब्ज में शामिल नहीं किया गया । होना तो यह चाहिये था कि यूनिफिकेशन हो जाता और वहां के गूजरों को भी लाभ मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

इसी तरह से गद्दी और गूजर जो कि नये इलाके के हिमाचल में शामिल हुए उन्हें भी ट्राइब्ज में करार देना चाहिये था । जब यूनिफिकेशन और इंटैग्रेशन हुआ और एक नया फिशाल हिमाचल बना तो उस समय इन गद्दी और गूजरों को भी वही फैसिलिटीज मिलनी चाहियें थीं जो कि पुराने हिमाचल के गद्दी और गूजरों को मिली हुई थीं । आज वह लोग एक खास किस्म की जिन्दगी काट रहे हैं, उनको फायदा क्यों नहीं पहुंचा है ?

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 1966 के बाद जो नये इलाके हिमाचल के साथ आकर मिले हैं, उनके भी गद्दी और गूजर जो कि ट्राइब्ज की तरह जिन्दगी बसर करते हैं, उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्ज करार देना चाहिये और जिन इलाकों में ट्राइबल करैक्टर के लोग रहते हैं, उनको ट्राइबल एरिया करार देना चाहिये । उसके रेप्रेजेन्टेशन हुए हैं और यह कमिश्नर आफ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज जो हैं उनको इन बातों पर गौर करना चाहिए और यह रेकमेंडेशन करनी चाहिए कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी इन के साथ मिलाया जाये . . . (व्यवधान) . . . वह तो शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को ज्वाइंट कमेटी बनी है, उस का मैं भी मेम्बर हूं । कई जातियां शेड्यूल्ड कास्ट में आना चाहती हैं, कई बाहर जाना चाहती हैं जो कि सवर्ण बनना चाहती हैं, तो उन की बाद में लिस्ट बनेगी । उसके लिए ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, सूरजभान जो उसके चेयरमन हैं, मैं उस का मेम्बर हूं । उस पर बड़े बाकायदगी के साथ डीटेल्स में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं । जैसे कि कोली हैं वह चाहते हैं कि हम शेड्यूल्ड कास्ट न रहें हम को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाना चाहिए, तो उन को शेड्यूल्ड-ट्राइब बना देना चाहिए । अगर ट्राइबल है तो उन को ट्राइब में कर देना चाहिए । ऐसी जातियों के लिए तो यह कमेटी काम कर रही है और उस की रिपोर्ट लोक सभा के सामने आएगी, सदन उस पर गौर करेगा, फिर जो भी पास होगा उसके मुताबिक वह हो जायेगा ।

इस समय मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी लोग हैं उन की समस्याएं बहुत हैं । वहां शेड्यूल्ड कास्ट्स की हालत ठीक नहीं है, शेड्यूल्ड

[श्री दुर्गा चन्द]

ट्राइब्ज को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। 18 हजार से लेकर 28 हजार फुट तक की बुलन्दियों पर वे रहते हैं अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। इसलिए सरकार को हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए सब से ज्यादा फंड देना चाहिए अगर वह उन की हालत को नेशनल लेवेल पर लाना चाहती है। मैं इतना ही कह कर आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो): सभापति महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयोग की रिपोर्ट पर विचार चल रहा है। मैं भी उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह बात सही है कि जो हालत आज अनुसूचित जाति और जन-जातियों की है उसे देख कर के दुख होता है कि एक इतने बडे विशाल देश में रह कर के हम को जितना उन को अपने साथ में लाना चाहिए था, जितना उन का उत्थान करना चाहिए था, और जो भेदभाव हैं उसे मिटाना चाहिए था, उसे करने में हम सफल नहीं हो सके। शासन द्वारा उन के उत्थान के लिए योजनाएं तो बनाई गई, व्यवस्थाएं की गई लेकिन उन को कार्यान्वित करने मे ढिलाई रही। हम उस ओर ध्यान नही दे पाए, वह साधन उन को प्रैक्टिकल रूप में नहीं दे पाए ताकि वह एक अच्छे मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

हम अगर उन को ऊंचा उठाना चाहते है, साथ में लाना चाहते हैं तो दो प्रमुख साधन उस के है। एक तो जो आजकल की उन की सामाजिक हालत है उस में सुधार होना बहुत जरूरी है। दूसरे, उन्हें आर्थिक सहायता देना जरूरी है। जब तक हम आर्थिक सहायता नही देते तब तक हम कोरी बातें करते रहें और उन के उठाने की चर्चा करते रहें, हम उनकी हालत में सुधार नहीं ला सकते और उन को एक अच्छे स्तर पर नही ला सकते। जो अभी तक हुआ, वह ठीक है, लेकिन आगे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए यह देखना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जो योजनाएं शासन बनाए उस का वह निरीक्षण भी करे। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, उन को सहायता देने की बात की जाती है लेकिन उन का निरीक्षण नहीं होता कि हम ने जो पैसा दिया है वाकई में वह उन के हाथ लगा है या बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गया है। जितना पैसा भी इस काम मे दिया जाता है, पिछले दिनों का रेकार्ड है कि वह पैसा उन पर उतना खर्च नही हुआ। जो ऐसी सभा सोसाइटियां भी बनी है इन के नाम से इन के उत्थान के लिए वह भी इन्हे ऊपर उठाने के काम में सफल नहीं हुई है और वह पैसा उस तरह से खर्च नही किया है। अगर वह पैसा ठीक तरह से खर्च किया जाता तो आज जो उन की दशा है और जो हम ऊंच और नीच की बात देख रहे हैं वह कभी की मिट जाती।

सामाजिक परिवर्तन की बात मैं कहूं तो आज हालत यह है कि हम अपने भाइयों को छोटा समझते हैं और जो केवल ना-जानकार हैं, जो अनपढ़ हैं वही नहीं, हम में से जो पढ़े लिखे है, जो अपने को सभ्य समझते हैं वे भी उन को छोटा समझते हैं और उनसे घृणा करते है। मैं देखता हूं कि जो अध्यापक हैं जिन का काम शिक्षा देने का है सबको समान दृष्टि से देखना है लेकिन आज वे भेदभाव करते हैं। यही कारण है कि हम अपने भाइयों को अपने साथ नहीं ले सके। इसलिए

जो अंधविश्वास और कुरीतियां है उनको दूर करना जरूरी है । यह कुरीतियां दूर हो सकती है। सभा सम्मेलन होते है, गोष्ठियां होती है लेकिन शासन द्वारा वृहद गोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिए ताकि जिन लोगों के मन में अपने को बड़ा समझने का भाव है, वह दूर हो सके । दूसरे लोग भी गरीबी के कारण अपने को छोटा समझते है। इसलिए इस प्रकार की भावना पैदा की जानी चाहिए कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा, ऐसी भावना आने पर ही लोग समान रूप से आगे बढ़ने की आकांक्षा कर सकेंगे ।

दूसरी बात यह है कि साधन देना बहुत जरूरी है । मै देखता हूं कि गरीबों के साधन छिनते जा रहे है । पिछले समय मे राजशाही मे भी आदिवासी जंगल की उपज को फ्री निकालते थे लेकिन अब उसके भी ठेके होने लगे । हमारे टीकमगढ़ जिले मे जंगलो मे आदिवासी महुआ के फूल फ्री लेते थे लेकिन अब उसका ठेका कर दिया गया है । हालांकि अभी भी सारा काम वही लोग करते हैं लेकिन ठेकेदार जिसने ठेका ले लिया है वह सारा मुनाफा ले जाता है । इस तरह से पहले कई साधन मिले हुए थे जोकि आज छीन लिए गए है । सरकार पैसे के लाभ में हर चीज का ठेका कर रही है जिससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। काम तो अभी भी अनुसूचित जाति के लोग ही करते है क्योंकि वे बड़े परिश्रमी हैं लेकिन इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है । जो मुनाफा होता है उसको बड़े बड़े ठेकेदार ले जाते है । इसलिए आज उनको साधन देने की बड़ी आवश्यकता है । बिना साधन के वे आगे नही बढ़ सकते है ।

जहां तक शिक्षा की बात है, मैं कहूंगा कि उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज हम समानता की बात करते हैं लेकिन फिर भी हमारे यहां दो तरह के स्कूल चलते है । एक तरह के स्कूलों में गरीबों के लड़के पढ़ेंगे और दूसरी तरफ के स्कूलों में बड़े आदमियों के लडकें पढ़ेंगे । सरकार उनको अनुदान भी देती है । आखिर यह कब तक चलता रहेगा ? सरकार को इस तरह के भेदभाव को मिटाना चाहिए । कोई भी ऐसी संस्था या पाठशाला नही रहनी चाहिए जिसमें गरीब आदमी के बच्चे न जा सकें । जब हम समानता की बात करते है तब इस तरह के भेदभाव को नही चलने देना चाहिए । अगर कही इस तरह का भेदभाव बरता जाए तो उसको सरकारी अनुदान नही मिलना चाहिए ।

बंधुवा मजदूरों का जिक्र बहुत किया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट मे जो प्रथम भाग है इसके पेज 31 पर लिखा है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार 98,015 बंधुवा मजदूरो का पता लगाया गया, 97,114 को मुक्त कराया गया और 23,720 को पुनर्वासित किया गया । फिर मध्य प्रदेश के लिए लिखा है कि 1612 का पता लगाया गया, 1500 को मुक्त कराया गया और पुनर्वासित केवल 33 किए गए । इन आंकडों से आप को विदित हो गया होगा कि वहां पर कितने बंधुवा मजदूर थे जो ऋण मे ग्रसित थे, लेकिन 33 परिवारो को ही पुनर्वासित किया गया । मैंने इस को पढ़ कर इस लिये सुनाया ताकि आप को पता लग सके कि सरकार की गति क्या है । आज इस गति को हमे तेज करना होगा, तभी हम उन के लिये कुछ कर सकते है । यहां पर इन रिपोर्टों पर बार-बार चर्चा होती है, तरह-तरह की बाते कही जाती है, लेकिन अमल बहुत कम है । हमारे ये बंधुवा मजदूर आज ऋण से ग्रसित है, इन का उद्धार तभी हो सकता है जब आप इन को पैसा दें । मेरे टीकमगढ़ जिले के 868 बंधुवा मजदूरों की रिपोर्ट मैंने श्रम राज्य मंत्री श्री लाल साय जी को दी है,

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के जो श्रम मंत्री है—श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता—उन को भी भेजो है। इस तरह के हिन्दुस्तान में करोड़ो लोग है जो ऋण के बोझ से दबे हुए है। एक और बात बतलाना चाहता हूं—ये लोग केवल साहूकारों के ऋण से ही दबे नहीं है, बल्कि सरकार के ऋण से भी दबे हुए हैं। किसी गरीबी आदमी ने पम्प के लिये ऋण लिया है किसी कारण से वह मशीन जल जाती है तो वह बेचारा ऋण से दबा हुआ हैं—न उसके पास पैसा है कि वह उस का ठीक करा सके और न ही सरकार को ऋण लौटा सकता है मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम मामलो की जांच की जानी चाहिये और उन के ऋण का माफ किया जाना चाहिये। अगर हम केवल साहूकारो की बात यहां करते रहें और सरकार की बात न कहें—तो यह भेदभाव होगा। इसलिये मेरा सरकारसे अनुरोध है कि ऐसे बंधुवा मजदूरों को उभारने के लिये, उनको बसाने के लिये, हमको बड़ा कार्यक्रम बनाना चाहिये और उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिये।

आज यहां पर सफाई का काम करने वालों का सवाल उठाया गया, जो अपने सिरों पर मैला ढोते हैं। यह सभी से छोटा काम कहलाता है दूसरा कोई उस काम को नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी उन को बहुत कम मजदूरी मिलती है। मैं तो यह चाहता हूं—यदि उन को कम वेतन दिया जाता है, तो वे उस काम को करना छोड़ दें। आज उन के साथ घृणा क्यों की जाती है—इसलिये कि वे अपने सिरों पर मैला ढोते हैं हमारी बहनें सिरों पर मैले के टोकरे को उठा कर ले जाती हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि हर जगह फ्लश लैट्रीन्स की व्यवस्था की जाय और ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे कम पैसो में ये लेट्रीन्स बनाई जा सके ताकि हमारी बे मा और बहने अपने सिरों पर मैले का टोकरा लेकर न निकले। यह प्रथा बिलकुल समाप्त होनी चाहिये। हमारे मध्य प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री श्री रामानन्द सिंह ने घोषणा कर दी है कि अब कोई भी बहिन अपने सिर पर मैले का टोकरा लेकर नही निकलेगी। उन्होंने उन को हाथगाडी दी है—इस तरह की व्यवस्था सब जगह होन चाहिये। अगर आप भेदभाव को मिटाना चाहते है, अगर आप अछूत को मिटाना चाहते है—तो यह प्रथा बिलकुल समाप्त होनी चाहिये। उन के लिये कोई ऐसी बंदिश नही है कि उन को यह काम करना ही पड़ेगा उन की मर्जी है—वे इस काम को करे या न करे। मैं तो यह चाहता हूं कि उन को इतना ज्यादा वेतन दिया जाय, जैसे इन्जीनियरो और दूसरे लोगो को दिया जाता है अगर ज्यादा पैसा मिलने लगेगा तो फर ऐसे बहुत से पंडित जी भी मिल जायेगे जो इस काम को करने के लिये तैयार हो जायेंगे। आज कम पैसा मिलने के कारण ही वे गरीब हैं—ज्यादा पैसा देने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा।

आज आप हरिजन मुहल्लों में जांय, जहां गरीब लोग रहते है– उनकी बस्तियां गन्दी बस्तियों के रूप मे पड़ हुई है, उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कही पानी और बिजली लगाई जाती है बड़े आदमियों के मुहल्लों से वह काम शुरू होता है, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। शासन की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि जब भी किसी गांव में बिजली

या पानी की व्यवस्था की खास, तो सब से पहले यह काम हरिजन मुहल्ले से शुरू होना चाहिये—आप इस तरह का नियम बनाइये हम लोग यहां पर बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन नियमों का पालन न किया जाय, तो इस से क्या फायदा है । यदि हम उन के लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे तो इस से उन के मन में विश्वास पैदा होगा कि हमारी सरकार वास्तव में समानता की बात करती है और इससे उन का उत्साह बढ़ेगा ।

आज अन्त्योदय की बात कही जाती हैं । जहां तक मै समझता हूं राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ काम किया हैं, लेकिन बाकी सरकारें अभी बहुत पीछे हैं । वह तो केवल एक व्यवस्था बना ली जाती हैं कागजों मे लिखने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए, तो वहां काम बहुत कम होता है । इसलिए अगर उन लोगों को, उन गरीबों को हटाना है, तो उन को साधन देने पड़ेंगे । कहते है कि साधन दे रहे हैं, धंधा दे रहे हैं । मैं आप को स्टेट बैंक की ही बात बताता हू । जो उन के एजन्ट हैं और जो पैसा देने वाले नवाब बने हुए हैं, मैं ने बार बार कहा है कि स्टेट बैंक इन गरीब लोगों को पैसा नहीं देता है । वह पैसा बड़े-बड़े आदमियों को ही देता है, जिन को 60, 60 हजार और एक एक लाख रुपये उधार देने होते हैं । जिन को एक हजार या दो हजार रुपया चाहिए, उन को कह दिया जाता है कि हम देखेंगे और विचार करेंगे कि आप को कौन सा ऋण मिल सकता है । इस तरह से गरीबों को टाल दिया जाता है । कितने गरीबों को पैसा दिया गया ? बहुत कम को दिया गया । पहले स्टेट बैंक का काम बहुत अच्छा चलता था, बिजली की तरह काम चलता था । लेकिन गरीबों को ऋण देना है, तो वहां जो उन का काम है, वह भी खराब हो गया है । शायद ही कोई ऐसा एजेन्ट होगा स्टेट बैंक का, जो ईमानदारी से काम करता हो । मैं जानता हूं कि टीकमगढ़ या छतरपुर में जो स्टेट बैंक हैं, उन का काम ठीक नहीं है और पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता । इस लिए बैंकों का काम सुधरना चाहिए और खास तौर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सवाल भूमि से ज्यादा सम्बन्धित है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भूमि सुधार कितना किया गया और कितनी जमीन उन को दी गई । जो जमीन दी भी गई है, उस के लिए अगर आप साधन नहीं देंगे तो वह ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी जो जमीन आवंटित की भी गई है वह साधन न होने की वजह से ज्यों की त्यों पड़ी है और मेरा एक अशासकीय संकल्प भी इस लोक सभा में आया था जिसमें मैं ने कहा था कि एक भूमि सेना बनाई जाए, जो बंजर जमीन पड़ी है या ऊसर जमीन पड़ी है उस को ठीक करें । उस जमीन के लिए आप साधन दें यानी सिचाई के साधन दें और उपकरण देकर, वह जमीन आदिवासियों को दें, हरिजनों को दे, जो वहा पर उन साधनों से खेती कर सकें लेकिन इस पर न प्रान्तीय सरकारें ध्यान दे रही हैं और न केन्द्रीय सरकार का उस तरफ़ ध्यान गया है न मुझे यह मालूम हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने कुछ इस पर अमल किया है । वहां पर होम गार्डों द्वारा यह काम कराया जाता है । इसलिए जमीन अगर दो, तो मय साधन देनी चाहिए । कुछ ऐसी भी जातियां है जो घुमक्कड़ हैं यानी जो घूमती रहती है और उन के रहने के लिए कोई मकान नहीं है । ऐसी कई जातियां हैं, जो हरिजन हैं या दूसरी भी हैं जिन के बसाने के लिए कोई स्थान नहीं है लेकिन कम से कम शासन को यह देखना चाहिए और इस की जांच करनी चाहिए कि आखिर इन्हें भी साधन दें और इस बारे में कोई भी भेदभाव न रहे, कोई ऊंच नीच न रहे । इस तरह का भेदभाव मिटाने का प्रयास करना चाहिए ।

अभी हमारे गवई साहब ने कहा कि गांधी जी की जो स्कीम थी, उसके जरिये हम इस मामले में सफल नहीं हो सकते हैं । मैं इस को ऐसा ही मानता हूं जैसे छोटा मुंह बड़ी बात । गांधी जी ने हरिजनों के लिए जो किया वह

[श्री लक्ष्मण नारायण नायक]

किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति इन गरीबों के लिए लगा दी और उन के लिए इतने सारे काम किये। वे हरिजनों के लिए झोली पसारते थे और लोगों को कहते थे कि हरिजनों की मदद करो। हरिजनों को ऊंचा उठाने में सब से ज्यादा उन की मदद रही है। इसलिए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। गांधी जी ने इस के लिए बहुत से काम किये हैं। इस तरह से शासन को इन्हें ऊंचा उठाने के लिए मदद करनी चाहिये और समाज में भाईचारे की भावना को लाना चाहिए और ऊंच-नीच की बात को समाप्त करके उन को अच्छे स्तर पर लाना चाहिए।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

MR CHAIRMAN Mr Dhirendranath Basu

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa) Mr. Chairman, Sir ..

MR CHAIRMAN The hon Member will continue tomorrow The House stands adjourned till 10 30 a m tomorrow

The Lok Sabha then adjourned till half past Ten of the Clock on Tuesday, May 15 1979/Vaisakha 25, 1901 (Saka)